D:/Regular-17/roshan new shelar/Perspective Plan 2019-20/ Advertisement

# मुंबई विद्यापीठ

क्र. संलग्नता/मान्यता/आयसीडी/२०१८–१९/9360

## जाहिरात

मुंबई विद्यापीठ परिक्षेत्रात नविन महाविद्यालये/ विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम/ विषय/ अतिरिक्त तुकडया (पदवीपुर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांकरिता) सुरु करण्याकरिता इच्छूक शैक्षणिक संस्था/ महाविद्यालयांकडून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे पत्र क्र. बृआमा–२०१८/प्र. क्र. २८१/विशि–३ दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१८ आणि क्र. बुआमा–२०१८/प्र. क्र. २८१/विशि–३ दिनांक १९ सप्टेबर, २०१८ नुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९–२० करिता विद्यापीठाच्या बृहत आराखडयास महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या मंजुरीनुसार फक्त online पध्दतीने प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०१९–२० चा बृहत आराखडा, शासन निर्णय, शासन पत्र, शुल्क परिपत्रक, प्रस्ताव मार्गदर्शिका (Proposal Guidelines) सविस्तर माहिती विद्यापीठाच्या https://muonline.org.in या संकेतस्थळावरील Downloads लिंक मध्ये उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

ऑनलाईन प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सदर प्रस्तावांच्या तीन प्रती (Hard Copy) व पायाभूत सुविधांच्या चित्रीकरणाची संगणक चक्ती (Video C. D.) **दिनांक २९ सप्टेबर, २०१८ सायंकाळी ५.०० पूर्वी संलग्नता मान्यता विभाग, कक्ष क्र. २०७, दुसरा मजला, मुंबई विद्यापीठ, फोर्ट, मुंबई – ४०००३२ येथे दुसरा व चौथा शनिवार, रविवार आणि इतर सार्वजनिक सुट्टी व्यतिरिक्त स्विकारले जातील.** सदर नमूद केलेल्या दिनांक व वेळेनंतर देणारे प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत तसेच बृहत आराखडयातील बिंदू बाहेरील येणा–या प्रस्तावांवर कोणताही विचार केला जाणार नाही व भरलेली फी परत केली जाणर नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

21.9.18

मुंबई– ४०००३२.
२१ सप्टेबर, २०१८

स्वाक्षरी/–
(प्रो. सुनिल भिरुड)
प्र. कुलसचिव

# University of Mumbai

No. Aff./ICD/2018-19/1370

## NOTIFICATION

The proposals are invited as per provisions of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 and also as per Higher & Technical Education Department letters No. बृआमा–२०१८/प्र. क्र. २८१/विशि–३ दिनांक ११ सप्टेबर, २०१८ and बुआमा–२०१८/प्र. क्र. २८१/विशि–३ दिनांक १९ सप्टेबर, २०१८ for the academic year 2019-20 from the educational Management/ Society/ Trust's and Principals/ Directors of affiliated colleges / Institutes to start New Colleges/ faculties/ courses/ subjects/ Divisions (under- graduate and post-graduate) to start New Colleges (under-graduate and post-graduate) as per Perspective Plan of the University of Mumbai duly approved by the Maharashtra State Commission for Higher Education and Development through the **online process** only.

The Perspective Plan, Government Resolutions, Government of Maharashtra letter, Fee circular, Proposals Guidelines and other details are available on University website **https://muonline.org.in** (in Downloads section)

After submission of the proposals through the online process, it must be submitted in three (03) hard copies alongwith video C.D of basic infrastructure to the Affiliation Section, Room No. 207, University Building, Fort, Mumbai-400 032 on or **before 29th September, 2018 up to 5.00 p.m. except 2nd and 4th Saturday, Sunday and Public Holidays**.

The applications will not be accepted under any circumstances after the above mentioned date and time and also fees will not be refunded if proposals which are not as per Perspective Plan of the University which may please be noted.

21.9.18

(Prof. Sunil Bhirud)
I/c REGISTRAR

Mumbai-400 032.
21st September, 2018

महाराष्ट्र शासन

क्रमांक-बृआमा-२०१८/प्र. क्र.२८१/विशि-३
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-३२
दिनांक : ११.०९.२०१८

प्रति,

कुलगुरु/कुलसचिव,
सर्व अकृषी विद्यापीठे,
महाराष्ट्र.

विषय -: अकृषी विद्यापीठांचे सन २०१९-२०२४ चे पंचवार्षिक व सन २०१९-२०२० चे वार्षिक बृहत आराखडे मंजुर करण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या बैठकीचे इतिवृत्त.

महोदय ,

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ,मधील कलम ७६ अन्वये मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक सोमवार, दि. १० सप्टेंबर, २०१८ रोजी दुपारी ३.३० वाजता सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे पार पडली. सदरहु बैठकीचे इतिवृत्त व सन २०१९-२० या वर्षाकरिता विद्यापीठनिहाय मान्य केलेले बिंदू निदर्शकाचे विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. तरी त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.

आपला,

(सिध्दार्थ खरात)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे प्रधान सचिव.
२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण तथा उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे खाजगी सचिव.
३. मा. मंत्री, वित्त विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे खाजगी सचिव.
४. मा. मंत्री, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे खाजगी सचिव.
५. मा. मंत्री, उद्योग विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे खाजगी सचिव.
६. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे खाजगी सचिव.
७. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे खाजगी सचिव.

८. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे खाजगी सचिव.
९. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग यांचे खाजगी सचिव.
१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
११. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
१२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
१३. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
१४. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
१५. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
१६. सचिव, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
१७. प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई.
१८. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
१९. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
२०. संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.
२१. सहसचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पश्चिम क्षेत्रिय कार्यालय तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग.

प्रत,

१. सचिव यांचे स्वीय सहायक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२. सहसचिव (विशि) यांचे स्वीय सहायक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

# महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (MAHED)

## बैठकीचे इतिवृत्त

दि.१०.९.२०१८ रोजी दुपारी ३.३० वा. मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) ची बैठक पार पडली. सदरहू बैठकीसाठी खालील सदस्य उपस्थित होते.

१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण तथा उपाध्यक्ष (माहेड)
२. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण तथा सदस्य
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
५. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तथा सदस्य
६. सचिव,वित्त विभाग, सदस्य
७. सचिव,वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,सदस्य
८. संचालक, उच्च शिक्षण तथा सदस्य
९. संचालक, तंत्र शिक्षण तथा सदस्य
१०. प्रकल्प संचालक, रुसा
११. सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण
१२. उप सचिव (तांशि) उच्च व तंत्र शिक्षण इत्यादी
१३. डॉ.बी.एन.जगताप, माजी ग्रुप संचालक, बी.ए.आर.सी. मुंबई

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांनी उपस्थित सर्वांचे स्वागत करून विद्यापीठांचे बृहत आराखडे, शासनाची भूमिका व त्यानुषंगाने नियुक्त केलेल्या डॉ.के.बी. पाटील,माजी कुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या बृहत आराखडयांची छाननी व पुर्नतपासणी समितीच्या कामकामकाजाबाबत चर्चा केली. तसेच यासंबंधाने समितीचे सदस्य डॉ.बी.एन.जगताप माजी ग्रुप संचालक, बी.ए.आर.सी., मुंबई यांनी तयार केलेले सादरीकरण करण्यास सांगितले. त्यानुसार डॉ.जगताप यांनी सादरीकरण सादर केले. मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी विद्यापीठात सद्या जे अभ्यासक्रम शिकविण्यात येत आहे ते रोजगाराभिमुख आहेत काय नसल्यास रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता विषद केली. तसेच मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांनीदेखिल रोजगाराभिमुख शिक्षणाची आवश्यकता प्रतीपादन केली. तसेच विद्यापीठांचे उपकेंद्र व स्वयं अर्थसहाय्यीत विद्यापीठांकडून अवास्तव आकारण्यात येणाऱ्या फी बाबत देखिल कार्यवाही करण्याची आवश्यकता विषद केली.

बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.

१) महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) च्या दि.३१.८.२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त कायम करण्यात आले.

२) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०७ नुसार अकृषी विद्यापीठांनी सन २०१९-२० ते २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षासाठीचे पंचवार्षिक बृहत आराखडे व त्यानुषांगिक सन २०१९-२० करीता बिंदू निदर्शक वार्षिक योजनांना मान्यता देण्यात आली. तसेच याकरीता

नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉ.के.बी.पाटील समितीने शिफारस केलेल्या अहवालावर बैठकीमध्ये विचार करण्यात आला.

३) पंचवार्षिक बृहत आराखडे तसेच वार्षिक योजनांची अंमलबजावणी, पाठपूरावा व कालबध्द मुल्यांकन करण्यासाठी नवीन समितीची नियुक्ती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

४) मा. उच्च न्यायालय येथे दाखल केलेली याचिका क्र. ७८०५/२००९ च्या अनुषंगाने स्वामी रानानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड यांनी शासनास प्रस्तावित केलेल्या बृहतआराखड्यामध्ये मांडवी, इसलापूर ता. किनवट जि. नांदेड विद्यापीठाने सादर केलेल्या नविन महाविद्यालयांचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

५) अभियांत्रिकी, स्थापत्यशास्त्र व फार्मसी ही व्यावसायिक महाविद्यालये ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (बाटु) या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. सबब, अकृषी महाविद्यालयांच्या बृहत आराखडयांमध्ये बाटु अंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक महाविद्यालयांचा समावेश वगळण्यात यावा.

६) समाजकार्य महाविद्यालये नव्याने मंजूर करण्याबाबतचा निर्णय घेऊन सामाजिक न्याय विभागाला कळविण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला.

७) या व्यतिरिक्त सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी अकृषि विद्यापीठाकडून काही बिंदूची मागणी आलेली आहे. त्यांना मान्यता देण्यात यावी. मात्र सदरहू बिंदू योग्य आहे किंवा कसे याबाबतची तपासणी करण्यासाठी मा. मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), डॉ. बी. एन. जगताप व संचालक, उच्च शिक्षण यांची समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

***************

## University wise proposed new colleges for an academic year 2019-20

| Sr No | Name of University | District | Arts,Science,Commerce | Law | Special | Night Colleges(Arts,Science,Commerce) | Ladies Colleges(Arts,Science,Commerce) | B.Ed | Fine Art / Performing Arts | Arechiture | Pharmacy | Management | Physical Education | Social Science | Skill Devlopment | Social Work | HMCT | Visual Arts & Craft | Satelite Station | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Gadge Baba Amravati University,Amravati | Amravati | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | Akola | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | | Buldhana | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | Yavatmal | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | Washim | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | **Grand Total** | **29** | **0** | **0** | **4** | **9** | **0** | **4** | **1** | **6** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Solapur University,Solapur | Solapur | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | **Grand Total** | **2** | **0** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gondwana University,Gadchiroli | Gadchiroli | 9+1(Deaf & Dump) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | Chandrapur | 10+2(Deaf & Dump) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | **Grand Total** | **22** | **1** | **0** | **3** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University,Jalgaon | Jalgaon | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | Dhule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Nandurbar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | **Grand Total** | **13** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **22** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University,Nagpur | Nagpur | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| | | Bhandara | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | Gondia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| | | Wardha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | **Grand Total** | **4** | **1** | **0** | **0** | **13** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **9** | **0** | **3** | **0** | **0** | **32** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Swami Ramanand Teerth Marathwada University,Nanded | Nanded | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | Latur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | Parbhani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | Hingoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | **Grand Total** | **11** | **1** | **1** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Mumbai University,Mumbai | Mumbai City | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | Mumbai Suburban | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | Thane | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | | Navi Mumbai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Raigad | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | Sindhudurg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Ratnagiri | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | Palghar | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | **Grand Total** | **16** | **9** | **4** | **9** | **6** | **0** | **4** | **2** | **2** | **0** | **1** | **2** | **8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **63** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Savitribai Phule Pune University,Pune | Pune | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| | | Ahmednagar | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | Nashik | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | **Grand Total** | **19** | **4** | **2** | **2** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40** |

अवर सचिव
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
मंत्रालय विस्तार भवन
मुंबई ४०० ०३२

| Sr No | Name of University | District | Arts,Science,Commerce | Law | Special | Night Colleges(Arts,Science,Commerce) | Ladies Colleges(Arts, Science,Commerce) | B.Ed | Fine Art / Performing Arts | Arechiture | Pharmacy | Management | Physical Education | Social Science | Skill Devlopment | Social Work | HMCT | Visual Arts & Craft | Satelite Station | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SNDT University | Total District | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| | | **Grand Total** | **26** | **9** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** | **0** | **7** | **0** | **0** | **0** | **48** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Shivaji University,Kolhapur | Kolhapur | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 58 |
| | | Sangli | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| | | Satara | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 |
| | | **Grand Total** | **38** | **3** | **0** | **2** | **20** | **0** | **5** | **2** | **7** | **0** | **2** | **0** | **38** | **0** | **7** | **0** | **3** | **127** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad | Aurangabad | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| | | Jalna | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| | | Beed | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| | | Osmanabad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | **Grand Total** | **57** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** | **71** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ALL MAHARASHTRA** | | **GRAND TOTAL** | **237** | **32** | **7** | **22** | **57** | **2** | **23** | **5** | **18** | **9** | **3** | **4** | **86** | **10** | **10** | **2** | **5** | **532** |

अवर सचिव
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
मंत्रालय विस्तार भवन
मुंबई ४०० ०३२

महाराष्ट्र शासन

क्रमांक-वृआमा-२०१८/प्र. क्र.२८१ /विशि-३
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-३२
दिनांक : १९.०९.२०१८

प्रति,

१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग.

२. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग.

३. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे.

४. डॉ. वी. एन. जगताप.

५. सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू | कुलसचिव

विषय -: महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण विकास आयोगाच्या (MAHED) बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची दिनांक १८/०९/२०१८ रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त

महोदय,

मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) ची बैठक दि.१०.९.२०१८ रोजी दुपारी ३.३० वा. पार पडली. सदर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी अकृषि विद्यापीठाकडून काही बिंदूची मागणी करण्यात आलेले बिंदू योग्य आहे किंवा कसे याबाबतची तपासणी करण्यासाठी दि. १७.०९.२०१८ च्या शासननिर्णयान्वये मा. मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सदर समितीची बैठक दिनांक १८/०९/२०१८ रोजी दुपारी ०३.०० वा. आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीचे इतिवृत्त माहितीकरिता तथा आवश्यक त्या कार्यवाही करिता सोबत जोडुन पाठविण्यात येत आहे.

आपला,

(सिध्दार्थ खरात)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

सोबत :- बैठकीचे इतिवृत्त

प्रत,

१. सचिव यांचे स्वीय सहायक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

२. सहसचिव (विशि) यांचे स्वीय सहायक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण विकास आयोगाच्या (MAHED) बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची दिनांक १८/०९/२०१८ रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त

---

मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) ची बैठक दि.१०.९.२०१८ रोजी दुपारी ३.३० वा. पार पडली. सदर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी अकृषि विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेले व अतिरिक्त बिंदूंची मागणी करण्यात आलेले बिंदू योग्य आहे किंवा कसे याबाबतची तपासणी करण्यासाठी दि. १७.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मा. मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची बैठक दिनांक १८/०९/२०१८ रोजी दुपारी ०३.०० वा. आयोजित करण्यात आली होती. सदरहू बैठकीसाठी खालील सदस्य उपस्थित होते.

१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तथा समिती अध्यक्ष
२. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तथा सदस्य
३. संचालक, उच्च शिक्षण तथा सदस्य सचिव
४. सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५. अवर सचिव (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांनी उपस्थित सर्वांचे स्वागत करून सदर बैठकीतील विषयाच्या अनुषंगाने माहिती दिली. सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी अकृषि विद्यापीठाकडून काही अतिरिक्त बिंदूची मागणी आलेली आहे. सदरहू बिंदू योग्य आहे किंवा कसे याबाबतची तपासणी सदर बैठकीत करण्यात आली. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार अकृषि विद्यापीठाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या योग्य बिंदूंना सदर बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

***************

## Proposed Plan - 2019-20 for New Colleges (additional)

| Sr. no. | University | District | Taluka | Category wise no. of new colleges proposed: Arts, Science, Commerce | Law | B.Ed Special | Night College (Arts, Science, Commerce) | Ladies College (Arts, Science, Commerce) | B.Ed | Fine Arts / Performing Arts | Engineering | Architecture | Pharmacy | Management | Physical Education | Social Science | Skill Development | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR | KOLHAPUR | Sirola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR | KOLHAPUR | Karvir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR | KOLHAPUR | Hathkanangle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| II | University of Mumbai | Palghar | Boisar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | University of Mumbai | Palghar | Vasai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | University of Mumbai | Raigad | Mahad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | University of Mumbai | Ratnagiri | Sangmeswar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | University of Mumbai | Thane | Kalyan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| III | Savitribai Phule Pune University | Nashik | Malegaon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Savitribai Phule Pune University | Ahmednagar | Nevasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Savitribai Phule Pune University | Ahmednagar | Kopargaon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Savitribai Phule Pune University | Pune | Haveli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Savitribai Phule Pune University | Ahmednagar | Rahta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total | | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

# जिल्हा- मुंबई शहर

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या सालाकरिता बृहत आराखडामध्ये नवीन महाविद्यालये निश्चित करण्यासाठी केलेले स्थान (पारंपारिक व व्यवसायिक महाविद्यालये)

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| मुंबई | ०१ | ०१ | ०१ | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०५ |
| द. मुंबई | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| फोर्ट | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुलाबा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दादर | - | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| वरळी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माटूंगा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मलबार हिल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| शिवडी | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| गिरगाव | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माहिम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| माझगाव | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| धारावी | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| भायखळा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ताडदेव | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वडाळा | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| एकूण | ०२ | ०१ | ०१ | ०२ | ०२ | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०९ |

21.9.18

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI

# जिल्हा- मुंबई उपनगर

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या सालाकरिता बृहत आराखडामध्ये नवीन महाविद्यालये निश्चित करण्यासाठी केलेले स्थान (पारंपारिक व व्यवसायिक महाविद्यालये)

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| मुंबई उपनगर | | | | | | | | | | | | | | | |
| वांद्रे | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुर्ला | ०१ | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०२ |
| मुलूड/ भांडूप/ विक्रोळी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०१ |
| अंधेरी | विले पार्ले (पश्चिम) ०१ Fashion Designing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| बोरीवली | - | - | - | मालाड ०१ | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | ०२ |
| एकूण | ०२ | - | - | ०१ | ०१ | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०६ |

21.9.18

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI

# जिल्हा- ठाणे

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या सालाकरिता बृहत आराखडामध्ये नवीन महाविद्यालये निश्चित करण्यासाठी केलेले स्थान (पारंपारिक व व्यवसायिक महाविद्यालये)

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| ठाणे विद्यापीठ उपपरिसर | | | | | | | | | | | | | | | |
| ठाणे | बाळकुम ०१ | विटावा ०१ | ०१ | ०१ | घोडबंदर रोड ०१ | - | ०१ | - | - | - | - | - | ०१ | ०१ | ०८ |
| मिरा भाईदर | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०१ | - | - | - | - | ०३ |
| मुरबाड | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| भिवंडी | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | ०२ |
| शहापूर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | ०२ |
| उल्हासनगर | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अंबरनाथ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| कल्याण विद्यापीठ उपकेंद्र | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कल्याण | - | ०१ | - | कल्याण (पश्चिम) ०१ | - | - | - | - | - | ०१ | - | ०१ | - | - | ०४ |
| एकूण | ०३ | ०३ | ०१ | ०३ | ०१ | - | ०१ | - | ०२ | ०३ | - | ०१ | ०१ | ०१ | २० |

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

# नवी मुंबई

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या सालाकरिता बृहत आराखडामध्ये नवीन महाविद्यालये निश्चित करण्यासाठी केलेले स्थान (पारंपारिक व व्यवसायिक महाविद्यालये)

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| नवी मुंबई | ०१ | - | - | - | ०१ | - | ०१ | - | | | | | ०१ | ०१ | ०५ |
| एकूण | ०१ | - | - | - | ०१ | - | ०१ | - | - | - | - | - | ०१ | ०१ | ०५ |

21-9-18

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI

# जिल्हा- रायगड

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या सालाकरिता बृहत आराखडामध्ये नवीन महाविद्यालये निश्चित करण्यासाठी केलेले स्थान (पारंपारिक व व्यवसायिक महाविद्यालये)

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| रायगड | कर्जत डोगराळ भाग ०१ | महाड ते माणगाव ०१ | - | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०४ |
| पेण | - | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| अलिबाग | - | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| मुरूड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पनवेल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| उरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कर्जत | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खालापूर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| तळा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| रोहा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| सुधागड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महाड | चंबार खिंड ०१ | - | - | ०१ | ०१ | - | - | - | - | - | ०१ | - | - | - | ०४ |
| पोलादपूर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| श्रीवर्धन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| म्हसळा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एकूण | ०२ | ०१ | ०१ | ०२ | ०१ | - | ०१ | - | - | - | ०१ | - | - | ०१ | १० |

२५-९-१८

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI

# जिल्हा- सिंधुदर्ग

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या सालाकरिता बृहत आराखडामध्ये नवीन महाविद्यालये निश्चित करण्यासाठी केलेले स्थान (पारंपारिक व व्यवसायिक महाविद्यालये)

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| सिंधुदूर्ग | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०२ |
| कणकवली | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वैभववाडी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| देवगड | शिरगाव ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| मालवण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| सांवतवाडी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुडाळ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वेंगूर्ला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दोडामार्ग | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एकूण | ०१ | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०३ |

21.9.18
कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI * MUMBAI *

## जिल्हा- रत्नागिरी

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या सालाकरिता बृहत आराखडामध्ये नवीन महाविद्यालये निश्चित करण्यासाठी केलेले स्थान (पारंपारिक व व्यवसायिक महाविद्यालये)

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| रत्नागिरी | मिरजोळे ०१ | ०१ | - | रत्नागिरी शहर ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०४ |
| रत्नागिरी विद्यापीठ उपकेंद्र | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| संगमेश्वर | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| लांजा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| राजापूर | पडवे ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| चिपळूण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| गुहागर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| छापोली | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मंडणगड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| खेड | - | ०१ (तीन वर्षिय) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ |
| एकूण | ०३ | ०२ | - | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०७ |

२१.९.१८

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI * MUMBAI *

## जिल्हा- पालघर

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या सालाकरिता बृहत आराखडामध्ये नवीन महाविद्यालये निश्चित करण्यासाठी केलेले स्थान (पारंपारिक व व्यवसायिक महाविद्यालये)

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| पालघर | ०१<br>बोईसर (पू)०१<br>बोईसर ०१ | ०१ | बोईसर ०१ | ०१ | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ०८ |
| पालघर विद्यापीठ उपकेंद्र | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वसई | नाला सोपारा ०१<br>वसई ०१ | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ०३ |
| डहाणू | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| तलासरी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जव्हार | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मोखाडा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वाडा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| विक्रमगड | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एकूण | ०५ | ०२ | ०१ | ०१ | ०१ | - | - | - | - | - | - | - | - | ०१ | ११ |

21-9-18
कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI
* MUMBAI *

# मुंबई विद्यापीठ

## बृहत आराखडा तक्ता शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० गोषवारा

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तालुका / ठिकाण | कला वाणिज्य विज्ञान | विधी | बी. एड स्पेशल | रात्र महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | महिला महाविद्यालय (कला वाणिज्य विज्ञान) | बी. एड | ललित कला | अभियांत्रिकी | वास्तूशास्त्र | औषध निमार्ण शास्त्र | व्यवस्थापन शास्त्र | शारिरिक शिक्षण | समाजिक शास्त्र | कौशल्य विकास | एकूण |
| मुंबई | ०२ | ०१ | ०१ | ०२ | ०२ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०९ |
| मुंबई उपनगर | ०२ | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०६ |
| ठाणे | ०३ | ०३ | ०१ | ०३ | ०१ | -- | ०१ | -- | ०२ | ०३ | - | ०१ | ०१ | ०१ | २० |
| नवी मुंबई | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | ०५ |
| रायगड | ०२ | ०१ | ०१ | ०२ | ०१ | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | -- | ०१ | १० |
| सिंधुदूर्ग | ०१ | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०३ |
| रत्नागिरी | ०३ | ०२ | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०७ |
| पालघर | ०५ | ०२ | ०१ | ०१ | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ११ |
| एकूण | १९ | १० | ०४ | १० | ०७ | -- | ०४ | -- | ०२ | ०३ | ०१ | ०१ | ०२ | ०८ | ७१ |

२१.९.१८

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI * MUMBAI *

# मुंबई विद्यापीठ

शैक्षणिक वर्ष २०१९–२० या सालाकरिता अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात नविन अभ्यासक्रम/अतिरिक्त तुकडया सुरू करण्याबाबत निश्चित केलेले पदवीपुर्व व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

| अनु.क्र. | अभ्यासक्रम/विषयाचा तपशिल |
|---|---|
| **Humanities Faculty** | |
| 1 . | B.A. (Human Science) |
| 2 | B.A.(Film, T.V. & New Media Production) |
| 3 | B.A. (Culinary Arts) |
| 4 | B.A.(All Subject) (Except B.A. in Interior Design) |
| 5 | B.M.M. |
| 6 | B. A. (Yoga) |
| 7 | M.A. (All Subject) |
| 8 | M. Lib.I.Science |
| 9 | M.Phil |
| 10 | M.A. (Business Economics) |

21.9.18
कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

| | |
|---|---|
| 11 | M.A. (T.V. & New Media Production) |
| 12 | M.A. (Entertainment Media & Advertising) |
| 13 | M.A. (Public Policy) |
| **Commerce & Management Faculty** | |
| 14 | B.Com.(All Subject) |
| 15 | B.Com. (A & F) |
| 16 | B.Com. (B & I) |
| 17 | B.M.S. |
| 18 | B.Com. (Financial Markets) |
| 19 | B.Com. (Investment Management) |
| 20 | B.Com. (Transport Management) |
| 21 | B.Com./B.M.S. (Environmental Management and Economics) |
| 22 | M.Com (All Subjects) |
| 23 | **M.Phil (Commerce)** |
| **Science Faculty** | |
| 24 | B.Sc.(Plain) |
| 25 | B.Sc. (Computer Science) |
| 26 | B.Sc. (Hospitality Studies) |

21-9-18

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI * MUMBAI *

| | |
|---|---|
| 27 | B.Sc. (Information Technology) |
| 28 | B.Sc. (Human Sciences) |
| 29 | B.Sc. (Inter-disciplinary) |
| 30 | B.Sc. (Psychology) |
| 31 | B.Sc. (Aviation) |
| 32 | B.Sc.(Actural Science) |
| 33 | B.Sc. (Data Science) |
| 34 | N.C.C./N.S.S./Physical Education and Extension Activities (Optional subject for foundation course in B.A., B.Com. & B.Sc.) |
| 35 | M.Sc. (All Subject) |
| 36 | M.Sc. (Renewable Energy) |
| 37 | M.Sc. (Biodiversity and Wildlife Conservation and Management) |
| 38 | M.Sc.(Hotel and Hospitality Administration) |
| 39 | M.Sc. (Finance) |
| 40 | Post Graduate Diploma in Hospital & Healthcare Management |
| 41 | Post Graduate Diploma in Food Science & Technology |
| 42 | Post Graduate Diploma Course in Child Rights and Child Protection |
| **Engineering** | |
| 43 | B.E. (Mechatronics Engineering)/B.E.(Chemical Engineering) |
| 44 | B.E. (Electronics and Electrical Engineering) |

21.9.18

कुलसचिव
मुंबई

UNIVERSITY OF MUMBAI

| | |
|---|---|
| 45 | M.E. (All Subject) |
| 46 | M.E.(Mechanical Engineering-Product Design and Development) |
| 47 | M.E.(Mechanical Engineering-Energy System and Management) |
| 48 | M.E.(Electrical Engineering-Power Plan Engineering and Energy Management) |
| 49 | M.E.(Civil Engineering-Construction Engineering and Management) |
| 50 | M.E.(Signal Processing) |
| 51 | M.E.(Advance Communication and Information System) |
| 52 | M.E. (Computer Network and Information Security) |
| 53 | M.E.(Packaging Technology) |
| **Architecture** | |
| 54 | **M. Arch. in ( Urban Design, Project Management, Landscape Architecture, Conservation, Environmental Architecture)** |
| **Pharmacy** | |
| 55 | M. Pharm. (All Subject) |
| **Fine Art** | |
| 56 | M.F.A. (Dance, Music, Painting) |
| 57 | M.F. A. (Movement Science) |
| **LawFaculty** | |
| 58 | LL.M., |

21-9-18
कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI * MUMBAI *

| | |
|---|---|
| 59 | Diploma in I.P.R. |
| **Management Faculty** | |
| 60 | M.M.S.(Pharma and Healthcare Management) |
| 61 | M.M.S (Digital Business Management) |
| 62 | M.M.S (Rural Business Management) |

21.9.18

कुलसचिव
मुंबई विद्यापीठ

UNIVERSITY OF MUMBAI * MUMBAI *

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाविद्यालयांना (पारंपारिक व व्यावसायिक) मंजुरी देण्यासाठी कार्यपद्धती व निकष विहित करण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०१७.

वाचा :-१) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६.
२) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२००९/(३०१/०९)/मशि-४, दि.२५.९.२००९
३) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१०/(१९३/१०)/मशि-४, दि.३०.१०.२०१०
४) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१२/(२४७/१२)/मशि-४, दि.२.९.२०१३.

प्रस्तावना:-

राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी महाराष्ट्र शासनाने "महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६" अंमलात आणलेला आहे. सदर अधिनियमातील कलम १०९ (१) (२) (३) नुसार नवीन महाविद्यालय मंजुरीसाठी कालबद्ध तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच, या तरतुदीस अनुसरुन अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशी तरतूद कलम १०९ (९) अन्वये करण्यात आली आहे. सदरहू तरतुदींच्या अनुषंगाने सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाविद्यालय (पारंपारीक व व्यावसायिक) मंजुरीसाठी कार्यपद्धती व निकष सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.२,३ व ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-

शासन निर्णय:-

१. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र देण्याकरिता पुढील प्रमाणे कार्यपद्धती राहील.

कार्यपद्धती :- (इरादापत्राकरिता)

१.१ विद्यापीठांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात उच्च शिक्षणाच्या सुविधांचे सर्वत्र समान वाटप होण्यासाठी "महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६" च्या कलम १०७ मधील तरतुदीनूसार एक सम्यक योजना (Perspective Plan) तयार करावी.

१.२ सर्व विद्यापीठांनी पाच वर्षाचा बृहत आराखडा करावा, त्यामध्ये ज्या जिल्हामध्ये महाविद्यालयीन शिक्षणात ढोबळ पटसंख्या प्रमाण (जीईआर) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे असे जिल्हे, नक्षलग्रस्त, आदिवासी, डोंगराळ /दुर्गम भागासाठी सर्वोच्च प्राथम्य द्यावे व त्या प्राथम्यक्रमानुसार व तद्नंतर सर्वसाधारण याप्रमाणे त्या-त्या शैक्षणिक वर्षासाठी विशिष्ट एवढ्याच नवीन महाविद्यालयांच्या (व्यावसायिक (AICTE व NCTE मंजुरी देत असलेले व्यावसायिक अभ्यासक्रम सोडून) व पारंपारिक) प्रस्तावांची शिफारस करावी.

१.३ सदर सम्यक योजना महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाकडून मान्य करुन घ्यावी.

१.४ सम्यक योजनेस अनुसरुन विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी वार्षिक योजना तयार करावी.

१.५ वार्षिक योजनेत समावेश असलेल्या ठिकाणांसाठीचे बिंदु निश्चित केल्यानंतर सर्व अकृषी विद्यापीठांनी बृहत आराखडयातील ठिकाणासह वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन अर्ज मागवावेत. बृहत आराखडयाबाहेरच्या ठिकाणासाठी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीत करण्यात यावा व तसे अर्ज स्वीकारु नयेत.

१.६ नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागणा-या इच्छूक संस्थांनी "महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६" च्या कलम १०९ (३) (क) मधील तरतुदीनुसार सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मधील अर्जाच्या नमुन्यात संबंधित विद्यापीठाकडे, ज्यावर्षी इरादापत्र मागविले असेल त्यावर्षाच्या अगोदरच्या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी अर्ज दाखल करावेत. त्यासोबत परिशिष्ट "ब"मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.

१.७ विद्यापीठांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज स्वीकारावेत. अर्जात भरण्यात आलेली माहिती व त्यासोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी एक तपशीलसूची तयार करुन आवश्यक बाबींची पूर्तता करणारेच अर्ज स्वीकारावेत. ज्या विद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आलेली नाही, अशा विद्यापीठांनी पुढील एका वर्षात अर्ज स्वीकारण्याची संगणकप्रणाली विकसित करणे अनिवार्य राहील.

१.८ विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्याकरीता आवश्यक तेवढ्या छाननी समित्या विद्यापीठांचे कुलगुरु नियुक्त करतील.

१.९ प्राप्त अर्जांची व कागदपत्रांची पडताळणी सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट "ब" मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्रांच्या सूचीनुसार करुन, छाननी समिती त्यांचा अहवाल कुलगुरुंना सादर करेल.

१.१० ज्या संस्थेच्या प्रस्तावात किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास त्या संस्थेस / अर्जदारास त्रुटी कळविण्यात येतील.

१.११ त्रुटी कळविण्यात आलेल्या संस्थांनी विद्यापीठाकडे त्रुटीची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

१.१२ त्रुटीच्या पूर्ततेच्या अर्जाची छाननी समितीकडून छाननी करुन त्यासहीत छाननीत पात्र झालेल्या अर्जासह अहवाल अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळ यांना सादर करण्यात येईल.

१.१३ आवश्यकता असल्यास कुलगुरु विद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढ्या तज्ज्ञ समिती गठित करतील. सदर तज्ज्ञ समितीमध्ये छाननी समितीच्या सदस्यांच्या अंतर्भाव असणार नाही. अशी तज्ज्ञ समिती गठित केल्यास ही समिती त्यांचा अहवाल अध्यक्ष, अधिष्ठाता मंडळामार्फत कुलगुरुंना सादर करेल.

१.१४ कुलगुरुंकडून संबंधित पात्र संस्थांना पात्रता व अपात्रता कळविण्यात येईल.

१.१५ अपात्रता कळविलेल्या संस्था त्याविरुद्ध विद्यापीठाकडे अपिल दाखल करु शकतील. सदर अपिलावर कुलगुरु निर्णय देतील.

१.१६ सर्व पात्र अर्जदार संस्थांचे अर्ज मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट "अ" व "ब" तसेच प्रपत्र "अ" व त्यासोबतच्या सर्व कागदपत्रांसह विद्यापीठाकडून शासनाकडे दिनांक ३० नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर करण्यात येतील.

१.१७ विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्या व शासनस्तरावर छाननीअंती अंतिम पात्र ठरलेल्या प्रस्तावासंदर्भात शासनाकडून लगतनंतरच्या वर्षाच्या ३१ जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी इरादापत्र देण्यात येईल.

१.१८ वरील परि. १.७ मध्ये विहित केलेली छाननी समिती व परि. १.१२ मध्ये विहित केलेली तज्ज्ञ समिती यांची संख्या ती-ती विद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु करावयाच्या नवीन महाविद्यालय (पारंपारिक व व्यावसायिक) यांची व्याप्ती विचारात घेऊन ठरवतील व विहित केलेल्या वेळापत्रकात काम होईल याची खातरजमा करतील.

१.१९ विद्यापीठांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविताना त्यात नवीन पारंपारिक / व्यावसायिक महाविद्यालये असे वर्गीकरण केलेले असेल.

२. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र देण्याकरिता पुढील प्रमाणे निकष राहतील.

**निकष :- (इरादापत्र)**

२.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९(२) नुसार, कलम १०७ अन्वये तयार केलेल्या सम्यक योजनेशी सुसंगत नसेल, असे उच्च शिक्षणाचे नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठीचा कोणताही अर्ज विद्यापीठाकडून विचारात घेतला जाणार नाही.

२.२ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९(३)(ख) अनुसार आवश्यक बाबींची पूर्तता करतील आणि विहित कालावधीत प्राप्त होतील, केवळ असेच अर्ज विद्यापीठाकडून स्वीकारण्यात येतील आणि विचारात घेण्यात येतील.

२.३ ज्या संस्थांची यापूर्वीची महाविद्यालये अस्तित्वात आहेत, त्यांचेबाबतीत पुढील पूर्तता नसलेल्या संस्थांचे अर्ज शासनाकडे शिफारशीत करु नयेत.

**अ)** ज्या संस्थांच्या महाविद्यालयातील प्राचार्यांसहित सर्व अध्यापकांची पदे अर्हताधारक व पात्र उमेदवारामधून भरलेली नसतील तर तसेच, शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार भौतिक सुविधा उपलब्ध नसतील तर,

**ब)** राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या अटी व शर्तीचे तसेच, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-"अ" व "ब" ची पूर्तता करत नसतील तर,

**क)** मूल्यांकन / पूनर्मूल्यांकनाकरिता पात्र महाविद्यालयांच्या बाबतीत एकतर राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्विकृती परिषदेकडून किंवा राष्ट्रीय अधिस्विकृती मंडळाकडून अधिस्विकृती किंवा पुनर्रअधिस्विकृती करण्यात आली नसेल तर,

परंतु, ज्या महाविद्यालयाचे नॅक मूल्यांकन / पूनर्मूल्यांकन होऊ शकलेले नाही, अशा महाविद्यालयांची या संदर्भातील लेखी कारणे नमूद करुन त्यांचे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावेत.

२.४ शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील.

२.५ सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. त्यामुळे असे इरादापत्र देण्यात आले तरी संस्थेस नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही.

२.६ शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शर्तींच्या आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शर्तींची पुर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरिता आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसह ३१ जानेवारीपर्यंत विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील.

२.७ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९(३)(च) अंतर्गत परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड.) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर व्यवस्थापन इरादापत्रातील शर्तीचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. परंतु तसेच, अपवादात्मक प्रकरणात आणि कारणे लेखी नमुद करुन राज्य शासन, विद्यापीठाने योग्यरित्या प्रक्रिया केलेल्या व्यवस्थापनाच्या अर्जावर वेळोवेळी, इरादापत्राची वैधता एकूण १२ महिन्यापेक्षा जास्त नसेल, अशा आणखी कालावधीसाठी वाढवू शकेल. मात्र याकरिता विनिर्दिष्ट कालमर्यादा संपण्यापूर्वी संस्थेने पूर्ण समर्थनासह विद्यापीठामार्फत शासनाकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील.

३. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून ज्या संस्थेस नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र देण्यात आलेले आहे व त्यांनी इरादापत्राच्या अटी व शर्ती पूर्ण केलेल्या आहेत, त्याप्रकरणी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता देण्याकरिता पुढील प्रमाणे कार्यपद्धती राहील.

**कार्यपद्धती :- (अंतिम मान्यता)**

३.१ शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरिता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शर्तींच्या आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शर्तींची पूर्तता करुन त्याबाबतच्या अनुपालन अहवालासह नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता मागणारा अर्ज संस्थेने आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांसह ३१ जानेवारीपर्यंत विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील.

३.२ नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छुक संस्थांनी इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता केली असल्याचा अनुपालन अहवाल संबंधित विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट "क" मध्ये नमुद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.

३.३ विद्यापीठांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने अनुपालन अहवाल तसेच त्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे स्वीकारावित. ज्या विद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आलेली नाही, अशा विद्यापीठांनी पुढील एका वर्षात अर्ज स्वीकारण्याची संगणकप्रणाली विकसित करणे अनिवार्य राहील.

३.४ विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्याकरिता आवश्यक तेवढ्या छाननी समित्या विद्यापीठांचे कुलगुरु नियुक्त करतील.

३.५ प्राप्त अर्जाची व कागदपत्रांची पडताळणी सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट "क" मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्रांच्या सूचीनुसार तसेच, या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार करुन छाननी समिती त्यांचा अहवाल कुलगुरुंना सादर करतील.

३.६ ज्या संस्थेच्या प्रस्तावात किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास त्या संस्थेस / अर्जदारास त्रुटी कळविण्यात येतील.

३.७ त्रुटी कळविण्यात आलेल्या संस्थांनी विद्यापीठाकडे त्रुटीची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

३.८ त्रुटीच्या पूर्ततेच्या अर्जाची छाननी समितीकडून छाननी करुन त्यासहीत छाननीत पात्र झालेल्या अर्जासह अहवाल अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळ यांना सादर करण्यात येईल.

३.९ संबंधित विद्यापीठाचे कुलगुरु विद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढ्या तज्ज्ञ समिती गठित करतील. सदर तज्ज्ञ समितीमध्ये छाननी समितीच्या सदस्यांच्या अंतर्भाव असणार नाही. सदर तज्ज्ञ समितीने प्रत्यक्ष भेटी देऊन सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट-"क" मध्ये विहित करण्यात आलेल्या सुचीनुसार तसेच, इरादापत्रामधील अटी व शर्तीनुसार संबंधित संस्थेची तयारी आहे किंवा कसे, याबाबत काटेकोर परिक्षण करुन त्याचा अहवाल व्हिडिओ छायाचित्रणासह अधिष्ठता मंडळामार्फत कुलगुरुंना सादर करेल. विहित केलेले निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांची शिफारस विद्यापीठ करणार नाही.

३.१० वरील परि. ३.४ मध्ये विहित केलेली छाननी समिती व परि. ३.९ मध्ये विहित केलेली तज्ज्ञ समिती यांची संख्या ती-ती विद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु करावयाच्या नवीन महाविद्यालय (पारंपारिक व व्यावसायिक) यांची व्याप्ती विचारात घेऊन ठरवतील व विहित केलेल्या वेळापत्रकात काम होईल याची खातरजमा करतील.

३.११ कुलगुरुंकडून संबंधित पात्र संस्थांना पात्रता व अपात्रता कळविण्यात येईल.

३.१२ अपात्रता कळविलेल्या संस्था त्याविरुद्ध विद्यापीठाकडे अपिल दाखल करु शकतील. सदर अपिलावर (गरजेनुसार तज्ज्ञ समिती पाठवून अहवाल घेऊन) कुलगुरु निर्णय देतील.

३.१३ सर्व पात्र अर्जदार संस्थांचे अर्ज व त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट "क" व प्रपत्र "ब" व त्यासोबतच्या सर्व कागदपत्रांसह विद्यापीठाकडून शासनाकडे मे च्या पहिल्या दिवशी किंवा त्याआधी सादर करण्यात येतील.

३.१४ विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता शासनाकडून १५ जूनपर्यंत परवानगी कळविण्यात येईल.

४ सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून ज्या संस्थेस नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र देण्यात आलेले आहे व त्यांनी इरादापत्राच्या अटी व शर्ती पुर्ण केलेल्या आहेत, त्याप्रकरणी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता देण्याकरिता पुढील प्रमाणे निकष राहतील.

**निकष :- (अंतिम मान्यता)**

४.१ नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता इरादापत्र दिलेल्या ज्या महाविद्यालयांनी इरादापत्रामधील अटी व शर्तींची तसेच, शासनाने विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करुन अनुपालन अहवाल विद्यापीठाकडे सादर केलेला आहे, अशा प्रस्तावांची शिफारस विद्यापीठाने शासनाकडे करावी.

४.२ विद्यापीठांनी अनुपालन अहवाल स्वीकारताना व शिफारस करताना या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी व सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "क" मधील निकषांची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करुन त्यापुष्ट्यर्थ कागदपत्रे अनुपालन अहवालासोबत क्रमवार पद्धतीने जोडण्यात यावीत.

५. परिशिष्ट "क" मधील अनुक्रमांक ७ (अ) व ७ (ब) साठी परिशिष्ट "ड" मध्ये दर्शविण्यात आलेले कक्षनिहाय आवश्यक क्षेत्रफळ विचारात घेण्यात यावे. यानुसार सर्व शैक्षणिक व भौतिक सुविधा उपलब्ध असणे तसेच, मागणी करण्यात आलेल्या विद्याशाखानिहाय यासाठी विहित केलेल्या निकषांनुसार बांधकाम पूर्ण असणे आवश्यक राहील.

६. शासनाने विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता न करणारे प्रस्ताव विद्यापीठांनी शिफारशीत करु नयेत. विद्यापीठांनी सकारात्मक शिफारस करुनही अंतिम मान्यता प्राप्त न झाल्याच्या कारणास्तव अनेक

न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात. त्यामुळे निकषांची व सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणारेच प्रस्ताव शिफारशीत होतील, याची दक्षता विद्यापीठाने घ्यावी. अशी पूर्तता न करणारे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्याची जबाबदारी विद्यापीठाची पर्यायाने प्र.कुलगुरु तथा अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळ यांची राहील.

७. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास देण्यात येणारी मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील.

८. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर संस्था / केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर महाविद्यालये त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९१५१३३५३६५२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Rohini Bhalekar

Digitally signed by Rohini Bhalekar [illegible]

(रोहिणी भालेकर)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव
३) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
४) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई.
५) सर्व मा.संसद सदस्य/मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य.
६) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य.
७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
८) महासंचालक, माहिती व जन संपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिद्धीसाठी)
९) मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे विशेष कार्य अधिकारी.
१०) मा. राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव.
११) सह सचिव (विशि) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१२) अपर मुख्य सचिव (उ. व तं. शि.) यांचे स्वीय सहायक.
१३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.
१४) विशि-३, विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय.
१५) निवड नस्ती (मशि-४).

शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि.१५ सप्टेंबर, २०१७

## * परिशिष्ट-अ *

### नवीन महाविद्यालयांकरिता इरादापत्र मागणाऱ्या संस्थेने करावयाचा अर्ज

| | | |
|---|---|---|
| १. | संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता :<br>(दुरध्वनी क्रमांकासह) | |
| २. | महाविद्यालयाचे नाव आणि पूर्ण पत्ता : | |
| ३. | ज्या ठिकाणी नवीन महाविद्यालय सुरु करावयाचे आहे, त्या ठिकाणाची लोकसंख्या : | |
| ४. | नवीन महाविद्यालयासाठी इरादापत्र मागण्यात येत असलेले सत्र : | |

५. अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरीक्त तुकडी अस्तित्वात असल्यास त्याचा तपशील (मूळ तुकडी अनुदानावर असेल तर तसा स्पष्ट उल्लेख करावा) : **तुकड्यांचा प्रकार नमूद करण्यात यावा. (अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विनाअनुदानित/स्वयंअर्थसहाय्यित)**

| | ✓ | विषय | विद्यार्थी संख्या |
|---|---|---|---|
| **विद्याशाखा** | | | |
| **अभ्यासक्रम** | | | |
| **विषय** | | | |
| **तुकडी** | | | |

६. आवेदन शुल्क रुपये-----/-, धनाकर्ष क्र.----------------
दिनांक ------------------ बँकेचे नाव---------------------
(धनाकर्ष कुलसचिव,--------------------------विद्यापीठ यांचे नावे असावा.)

७. महाविद्यालय सुरु करावयाच्या अभ्यासक्रमाचा तपशील:

| **अ.क्र.** | **शाखा** | **अभ्यासक्रम** | **अध्यापनाचे माध्यम** | **अध्यापनाचे विषय** |
|---|---|---|---|---|
| १. | | | | |
| २. | | | | |

८. संस्थेचा पंजीयनाचा क्रमांक --------- व दिनांक -----------

९. संस्थेच्या संविधानात शैक्षणिक बाबींसंबंधी तरतूद असल्यास, त्या तरतुदींच्या कलम क्र. व तदनुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंबंधीचा संस्थेचा ठराव क्र.------ व दिनांक --------

१०. प्रस्तावित महाविद्यालय सुरु करणार असलेले विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व विषय हे प्रस्तावित महाविद्यालयाच्या १५ कि.मी. परिसरातील इतर महाविद्यालयात शिकविले जात असल्यास, त्या महाविद्यालयांच्या नावासह तपशील :
(जागा कमी पडल्यास स्वतंत्र वेगळ्या कागदावर तपशील देण्यात यावा.)

११. निरनिराळ्या अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षात प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांची अंदाजित संख्या :

| **कला** | **वाणिज्य** | **विज्ञान** | **विधि** | **इतर** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

१२. १५ कि.मी. परिसरातील अस्तित्वात असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांची मागील ०३ वर्षांची पुढील संदर्भात माहिती द्यावी :

| **अ. क्र.** | **शाळेचे/कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता** | **वर्ष** | **उच्च माध्यमिक परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या** | **उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या** | **उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची टक्केवारी** |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | | | | | |

१३. कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखेच्या नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरीक्त तुकडी ज्या महाविद्यालयात सुरु करावयाची आहे, ते ठिकाण १२ वी च्या परीक्षेचे केंद्र आहे काय ? ------------------------------

| | |
|---|---|
| १४. | केंद्र असल्यास तेथून १२ वी च्या मार्च व ऑक्टोबरच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखानिहाय संख्या ------------------------------------------------------------ |
| १५. | अ) संस्थेद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या शाळा व महाविद्यालये यांचा तपशील------------------------<br>ब) सदर शाळा व महाविद्यालयांची मान्य प्रवेश क्षमता, प्रत्यक्ष प्रवेशित व परीक्षेस बसलेले विद्यार्थी ---------------------- |
| १६. | अ) महाविद्यालयासाठी वापरल्या जावयाच्या इमारतीच्या खोल्यांची संख्या व आकार ---------------<br>ब) सदर इमारत खोल्यांमध्ये सध्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा इतर अभ्यासक्रमाचे वर्ग भरतात काय? --- ------------ -------- असल्यास, त्याचा तपशील -------------------------- |
| १७. | अर्ज केलेल्या वर्षातील ३१ मार्चला असलेली संस्थेची आर्थिक स्थिती :-<br>(अ) स्थावर मालमत्ता<br>(ब) जंगम मालमत्ता<br>(क) बँकेतील रोख<br>(ड) बँकेचे वा इतर कर्ज |
| १८. | वरील उल्लेखित बाबींशिवाय महाविद्यालयाच्या आकस्मिक व अनाकस्मिक खर्चासाठी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक तरतुदीचा तपशील : ------------------------------------------------------ |

मूळ सही (शिक्क्याची नाही)
अध्यक्ष
(संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता)

मूळ सही (शिक्क्याची नाही)
सचिव
(संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता)

शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि.१५ सप्टेंबर, २०१७

* परिशिष्ट-ब *

संस्थेचे नाव :-
ठिकाण :-

विद्यापीठाचे नाव :
विद्याशाखा :-

| अ.क्र. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र देताना विचारात घ्यावयाची तपासणी सूची | पुर्ततेचा तपशील (होय/नाही) | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| १. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागणारा संस्थेचा विहित नमुन्यात अर्ज. | | |
| २. | संस्था नोंदणी प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत. | | |
| ३. | संस्थेच्या घटनेची साक्षांकित प्रत. | | |
| ४. | चालू वर्षाच्या तपशीलवार अंदाजपत्रकाची प्रत. | | |
| ५. | संस्थेच्या मागील पाच वर्षाच्या अंकेक्षित आर्थिक लेखे-जोखे व लेखापरीक्षण अहवालाच्या प्रती. या आधारे नवीन प्रस्तावित महाविद्यालयाच्या विकास योजनेसाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या आर्थिक स्त्रोतांबाबत स्वयंस्पष्ट माहिती. | | |
| ६. | संबंधित संस्थेचे आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीयकृत / शेड्युल बँकेमार्फत केले जात असल्याचे कागदपत्र. | | |
| ७. | पुढीलप्रमाणे किमान ५ वर्षे, किमान मुदत ठेवची (Fix Deposit) प्रमाणित प्रत.<br>अ) विधी महाविद्यालय : रु. १५.०० लाख<br>ब) पारंपारीक महाविद्यालय : रु. ७.०० लाख<br>(उदा. कला, विज्ञान, वाणिज्य इ.) | | |
| ८. | संबंधित राष्ट्रीयकृत शेड्युल बँकेत ठेवलेला मुदत ठेव निधी विद्यापीठाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न काढण्याबाबतचे संबंधित राष्ट्रीयकृत बँकेचे व संस्थेचे संयुक्त आश्वासन पत्र. | | |
| ९. | शासनाचे कायम विना अनुदानित धोरण लक्षात घेता, मंजुर करण्यात येणाऱ्या नवीन महाविद्यालयासाठी देण्यात येणारे इरादापत्र हे कायम विनाअनुदान तत्वावरील महाविद्यालयासाठी मान्य असल्याबाबतचे रु.१००/- च्या स्टँप पेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र. | | |
| १०. | संस्थेचे सद्यस्थितीत कनिष्ठ महाविद्यालय अस्तित्वात असेल तर अस्तित्वात असलेल्या इमारतीच्या बांधकामाचा वापर वरीष्ठ महाविद्यालयासाठी केला जाणार नाही, असे हमीपत्र तसेच, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बांधकामाचा प्रमाणित नकाशा सादर करावा. | | |
| ११. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागणाऱ्या संस्थेच्या सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच, शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार<br>अ) मूलभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत<br>ब) अर्हताधारक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध आहेत<br>याबाबत संस्थेचे संबंधित अकृषि विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १२. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागणाऱ्या संस्थेच्या सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणारी महाविद्यालये मूल्यांकन/ पूनर्मूल्यांकनाकरिता पात्र असल्यास नॅक/ एनबीए मानांकन व मूल्यांकन, पूनर्मूल्यांकन करुन घेतले असल्याचे प्रमाणपत्र. | | |
| १३. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागणाऱ्या संस्थेने बृहत आराखड्यामध्ये निश्चित केलेले बिंदुच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध असल्यासंदर्भातील कागदपत्रे.<br>१) **स्वत:ची जागा -**<br>अ) "अ", "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये १/२ एकर जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या सरकारी कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत.<br>ब) "अ", "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रापासून ५ कि.मी. परिसरात किमान १ एकर जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत.<br>क) "ड" वर्ग महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात किमान १ एकर जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या सरकारी कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत.<br>ड) उर्वरित सर्व क्षेत्रांसाठी किमान ३ एकर जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या सरकारी कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत.<br>२) **भाड्याची जागा - (किमान ०५ वर्षासाठी भाडेकरारनामा)**<br>अ) "अ", "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये १/२ एकर जागा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर घेतलेल्या नोंदणीकृत कराराची प्रत.<br>ब) "अ", "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रापासून ५ कि.मी. परिसरात किमान १ एकर जागा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर घेतलेल्या नोंदणीकृत कराराची प्रत.<br>क) "ड" वर्ग महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात किमान १ एकर जागा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर घेतलेल्या नोंदणीकृत कराराची प्रत.<br>ड) उर्वरित सर्व क्षेत्रांसाठी किमान ३ एकर जागा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर घेतलेल्या नोंदणीकृत कराराची प्रत. | | |
| १४. | प्रस्तावित महाविद्यालयांसाठी इमारतीचा वास्तुशास्त्रज्ञाकडून तयार करुन घेतलेला नकाशा. | | |
| १५. | प्रस्तावित महाविद्यालयाकरिता भौतिक साधने निर्माण करण्यासाठी भांडवली खर्चाचा टप्पानिहाय विनियोग आणि त्याचे वित्तीय स्त्रोत. तसेच, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी नेमणुकीसंदर्भातील तसेच त्याकरिताच्या वित्तीय तरतुदीचे नियोजन | | |
| १६. | संस्थेचा शिक्षण क्षेत्रातील पूर्वानुभव, संस्थेचे शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील योगदान, विविध शैक्षणिक प्रकल्पांबाबतची माहिती आणि काही ठळक विशेष संपादणूक असल्यास, त्याबाबतची सविस्तर माहिती. | | |
| १७. | प्रस्तावित महाविद्यालयाबाबतचा किमान पाच वर्ष कालावधीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल. | | |
| १८. | इरादापत्र ज्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येणार आहे त्या अटी व शर्तीची पूर्तता निकटतम पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत करण्यात येईल, असे संस्थेचे हमीपत्र. | | |

**शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि.१५ सप्टेंबर, २०१७**

*** परिशिष्ट-क ***

**संस्थेचे नाव :-**
**ठिकाण :-**

**विद्यापीठाचे नाव :**
**विद्याशाखा :-**

| अ.क्र. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता देताना विचारात घ्यावयाची तपासणी सूची | पुर्ततेचा तपशील (होय/नाही) | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| १. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी शासनाने दिलेले इरादापत्र. | | |
| २. | नवीन महाविद्यालयाच्या अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी संबंधित संस्थेने सादर केलेला अनुपालन अहवाल. | | |
| ३. | इरादापत्रामध्ये विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता झाली असल्याचे संस्थेने दिलेले व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र. | | |
| ४. | चालू वर्षाच्या तपशीलवार अंदाजपत्रकाची प्रत. | | |
| ५. | संस्थेच्या मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालाची प्रत. | | |
| ६. | इरादापत्र देण्याकरिता जे जमिनीचे (स्वत:ची किंवा भाडेतत्वावर) निकष विहित केलेले आहेत, ती जमिन अकृषक (संस्थेच्या नावावर किंवा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर असलेल्या) असल्यासंदर्भातील कागदपत्रे. | | |
| ७. | अ) इमारत (स्वत:ची) संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर प्राधिकरणाचे प्रमाणित उतारे<br>ब) इमारत (भाड्याची) (नोंदणीकृत भाडेकरार)<br>(सोबतच्या परिशिष्ट-"ड" मध्ये सर्वसाधारण वर्ग खोली व इतर क्षेत्रफळाचा तपशील सोबत जोडला आहे.)<br>**१) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत**<br>१.१) प्राचार्य कक्ष<br>१.२) कार्यालय<br>१.३) इलेक्ट्रॉनिक्स / संगणक प्रयोगशाळा<br>१.४) रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा<br>१.५) पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाळा<br>१.६) जीवशास्त्र प्रयोगशाळा<br>१.७) ग्रंथालय<br>१.८) लेडीज रुम<br>१.९) रेकॉर्ड रुम<br>१.१०) नॅक रुम<br>१.११) स्टाफ रुम<br>१.१२) सभागृह<br>१.१३) मोठे व्याख्यान कक्ष<br>१.१४) टॉयलेट ब्लॉक<br>१.१५) व्हरांडा<br>१.१६) एन.सी.सी. रुम<br>१.१७) एन.एस.एस. रुम | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | २) २.१) पाणी सुविधा (पाणी पट्टी पावती)<br>२.२) वीज सुविधा (वीज देयकाची प्रत)<br>२.३) ड्रेनेज सुविधा (स्थानिक प्राधिकरणाचे नकाशासह प्रमाणपत्र)<br>३) हॉस्टेल सुविधा (परिसरात २०% विद्यार्थ्यांची रहाण्याची सोय असल्याचे प्रमाणपत्र) | | |
| ८. | प्रस्तावित महाविद्यालयाच्या इमारतीत सेमिनार रुम, लेक्चरर रुम, फॅक्टरी रुम, स्टाफ रुम, प्राचार्यांची रुम, कॉमन रुम, हॉस्टेल रुम इत्यादी ठिकाणी आवश्यक फर्निचर. | | |
| ९ | ७ (अ) व (ब) मधील १ व २ साठी फर्निचर (खरेदी केल्याची अधिकृत पावती) उपलब्धतेबाबत विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र. | | |
| १० | ग्रंथालयात पुस्तकांची सुविधा (मागणी केलेल्या विद्याशाखेशी संबंधित किमान ५०० पुस्तके खरेदी केल्याची अधिकृत पावती) उपलब्धतेबाबत विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र. | | |
| ११ | महाविद्यालयाच्या प्रयोगशाळेत निर्धारित आवश्यक सामग्री (किमान रु.१.०० लाख प्रत्येक विषयासाठी राखीव) | | |
| १२ | प्रस्तावित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना खेळण्याची सोय, कॅन्टीन, हेल्थ केअर सुविधा. | | |
| १३ | संबंधित संस्था प्रस्तावित महाविद्यालयाकरिता क्रीडांगण भाड्याने वापरणार असल्यास रु.१००/- च्या स्टॅंप पेपरवर नोंदणीकृत भाडेकराराची साक्षांकित प्रत. | | |
| १४ | प्रथमतः महाविद्यालय भाडेतत्वावरील इमारतीत सुरु केले जाणार असेल तर प्रथम संलग्निकरण मिळाल्यापासून ५ वर्षामध्ये महाविद्यालय ज्या ठिकाणासाठी मंजूर झाले आहे, त्याठिकाणी स्वतःच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करणार असल्याबाबतचे हमीपत्र. | | |
| १५ | शासनाचे कायम विना अनुदानित धोरण लक्षात घेता, अर्जासोबत मंजूर करण्यात येणाऱ्या नवीन महाविद्यालयासाठी नियमानुसार वेतन व वेतनेतर खर्च संस्था करणार असल्याबाबतचे रु.१००/- च्या स्टॅंप पेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र. | | |
| १६. | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्र मागणाऱ्या संस्थेच्या सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच, शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार<br>**अ)** मूलभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत<br>**ब)** अर्हताधारक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध आहेत<br>याबाबत संस्थेचे संबंधित अकृषि विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र | | |
| १७ | प्रस्तावित महाविद्यालयामध्ये अर्हताधारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीसंदर्भात संस्थेने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती | | |
| १८ | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी इरादापत्रं मागणाऱ्या संस्थेच्या सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असणारी महाविद्यालये इरादापत्राच्या कालावधीत मूल्यांकन/पूनर्मूल्यांकनाकरिता पात्र ठरली असल्यास नॅक / एनबीए मानांकन व मूल्यांकन, पूनर्मूल्यांकन करुन घेण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु केली असल्याचे प्रमाणपत्र. | | |

शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि.१५ सप्टेंबर, २०१७

परिशिष्ट -"ड"

परिशिष्ट "क" मधील अ.क्र. ७ (अ) व (ब) साठी कक्षनिहाय किमान आवश्यक क्षेत्रफळ

| अ. क्र. | कक्षाचे नाव | नग | क्षेत्र प्रति नग | एकुण क्षेत्र | कला/विधी/ शिक्षण शाखा | वाणिज्य | विज्ञान | कला + वाणिज्य | कला + विज्ञान | वाणिज्य + विज्ञान | कला,वाणिज्य, विज्ञान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १) | प्राचार्य कक्ष | १ | २०X२५ | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
| २) | कार्यालय | १ | ३०X२० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| ३) | इलेक्ट्रॉनिक/संगणक प्रयोगशाळा | १ | २०X३० | ६०० | --- | --- | ६००(०) | --- | ६००(०) | ६००(०) | ६००(०) |
| ४) | रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा | १ | ३०X४० | १२०० | --- | --- | १२०० | --- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ५) | पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाळा | १ | ३० X ४० | १२०० | --- | --- | १२०० | --- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ६) | जिवशास्त्र प्रयोगशाळा | १ | ३० X ४० | १२०० | --- | --- | १२०० | --- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ७) | ग्रंथालय | १ | २० X ३० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| ८) | एनसीसी रुम | १ | २० X १५ | ३०० | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) |
| ९) | एन.एस.एस.रुम | १ | २० X १५ | ३०० | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) |
| १०) | लेडीज रुम | १ | १० X १५ | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० |
| ११) | रेकॉर्ड रुम | १ | १० X १५ | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० |
| १२) | नॅक रूम | १ | १० X १५ | १५० | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) |
| १३) | स्टाफ रूम | १ | २० X ३० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| १४) | सभागृह | १ | ४० X ३० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० |
| १५) | मोठे व्याख्यान कक्ष | ३/६/९ | | ९०० | २७०० | २७०० | २७०० | ५४०० | ५४०० | ५४०० | ८१०० |
| १६) | टॉयलेट ब्लॉक | ४ | १० X १५ | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| १७) | व्हरांडा | १ | किमान ५ फुट रुंद | | २१०० | २४०० | ३३०० | ३००० | ३८०० | ४१०० | ४६५० |
| | एकुण (किमान आवश्यक क्षेत्रफळ) | | | १०२५० | ९२०० | ९५०० | १४००० | १२८०० | १७२०० | १७५०० | २०७५० |

* व्यावसायिक महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र शिखर संस्था / केंद्रीय नियामक मंडळे असल्यास अशा शिखर संस्था / केंद्रिय नियामक मंडळाच्या नियमानुसार त्यांनी विहित केलेल्या आवश्यक भौतिक सुविधा व शैक्षणिक सुविधांचे निकष त्यांना लागु राहतील.

शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि.१५ सप्टेंबर, २०१७

* प्रपत्र-अ * (इरादापत्राकरिता)

| क्र. | संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता | प्रस्तावित नवीन महाविद्यालयांचा तपशील | विद्यापीठाने केलेली शिफारस | संस्थेची आर्थिक स्थिती कशी आहे. | तालुक्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांची नावे व महाविद्यालयांमधील अंतर | गटनिहाय विद्यार्थी संख्या (व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची स्वतंत्र माहिती द्यावी | तालुक्यामध्ये महाविद्यालय शाळांमधून १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्याशाखा निहाय विद्यार्थ्यांची संख्या | मागील वर्षी किती विद्यार्थी प्रवेशा पासून वंचित राहिले | इरादापत्र देण्याकरिता शासनाने विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता सदर संस्था करीत असल्याबाबतचे विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास इरादापत्र द्यावे किंवा कसे याबाबतचे विद्यापीठाचे स्वयंस्पष्ट अभिप्राय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| | | | | | | | | | | |

मूळ सही (शिक्क्याची नाही)
अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळ (संबंधित अकृषि विद्यापीठ)

शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, दि.१५ सप्टेंबर, २०१७

* प्रपत्र-ब * (अंतिम मान्यतेकरिता)

| क्र. | संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता | प्रस्तावित नवीन महाविद्यालयांकरीता देण्यात आलेल्या इरादापत्राचा तपशील | इरादापत्रामध्ये विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता संस्थेने केली आहे काय ? | या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या इतर अटी व शर्तींची पूर्तता संस्थेने केली आहे काय ? | नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता द्यावी किंवा कसे, याबाबतचे विद्यापीठाचे स्वयंस्पष्ट अभिप्राय | विद्यापीठांनी केलेली शिफारस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | | | | | | |

मूळ सही (शिक्क्याची नाही)
अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळ (संबंधित अकृषि विद्यापीठ)

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी देण्यासाठी कार्यपद्धती व निकष विहित करण्याबाबत...

**महाराष्ट्र शासन**
**उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग**
**शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२०८/१७)/मशि-४**
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१७

**वाचा** :- १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६.
२) शासन निर्णय क्र.एनजीसी-२००९/(३०१/०९)/मशि-४, दि.२५.९.२००९.
३) शासन निर्णय क्र.एनजीसी-२०१०/(१९३/१०)/मशि-४, दि.३०.१०.२०१०.
४) शासन निर्णय क्र.एनजीसी-२०१२/(२४७/१२)/मशि-४, दि.२.९.२०१३.

**प्रस्तावना :-**

राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी महाराष्ट्र शासनाने "महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६" अंमलात आणलेला आहे. सदर अधिनियमातील कलम १०९(४) नुसार नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी मंजुरीसाठी कालबद्ध तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच, या तरतुदीस अनुसरुन अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशी तरतूद कलम १०९ (९) अन्वये करण्यात आली आहे. सदरहू तरतुदींच्या अनुषंगाने सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी मंजुरीसाठी कार्यपद्धती व निकष सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भ क्र. २, ३, ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-

**शासन निर्णय:-**

१. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडीसाठी मंजुरी देण्यासाठी पुढे विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

**कार्यपद्धती :-**

१.१ विद्यापीठांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात उच्च शिक्षणाच्या सुविधांचे सर्वत्र समान वाटप होण्यासाठी "महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६" च्या कलम १०७ मधील तरतुदीनुसार एक सम्यक योजना (Perspective Plan) तयार करावी.

१.२ सर्व विद्यापीठांनी पाच वर्षांचा बृहत आरखडा करावा, त्यामध्ये ज्या जिल्ह्यामध्ये महाविद्यालयीन शिक्षणात ढोबळ पटसंख्या प्रमाण (जीईआर) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे असे जिल्हे, नक्षलग्रस्त, आदिवासी, डोंगराळ /दुर्गम भागासाठी सर्वोच्च प्राथम्य द्यावे व त्या प्राथम्यक्रमानुसार व तद्नंतर सर्वसाधारण याप्रमाणे त्या-त्या शैक्षणिक वर्षासाठी विशिष्ट एवढ्याच नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडीच्या (व्यावसायिक (AICTE व NCTE मंजुरी देत असलेले) अभ्यासक्रम सोडून) मंजुरीच्या प्रस्तावांची शिफारस करावी.

१.३ सदर सम्यक योजना महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाकडून मान्य करुन घ्यावी.

१.४ सम्यक योजनेस अनुसरुन विद्यापीठांनी नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करण्यासाठी वार्षिक योजना तयार करावी.

१.५ वार्षिक योजनेत समावेश असलेल्या ठिकाणांसाठीचे बिंदु निश्चित केल्यानंतर सर्व अकृषी विद्यापीठांनी बृहत आराखडयातील ठिकाणासह वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन अर्ज मागवावेत. बृहत आराखडयाबाहेरच्या ठिकाणासाठी अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीत करण्यात यावा व तसे स्वीकारु नयेत.

१.६ नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यास इच्छूक संस्थांनी "महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६" च्या कलम १०९ (४) (क) मधील तरतुदीनुसार सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मधील अर्जाच्या नमुन्यात संबंधित विद्यापीठाकडे अर्ज दाखल करावेत. त्यासोबत परिशिष्ट "ब"मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.

१.७ विद्यापीठांनी ऑनलाईन (Online) पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज स्वीकारावेत. अर्जात भरण्यात आलेली माहिती व त्यासोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी एक तपशीलसूची तयार करुन आवश्यक बाबींची पूर्तता करणारेच अर्ज स्वीकारावे. ज्या विद्यापीठाकडे ऑनलाईन पद्धतीने संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आलेली नाही, अशा विद्यापीठांनी पुढील एका वर्षात अर्ज स्वीकारण्याची संगणकप्रणाली विकसित करणे अनिवार्य राहील.

१.८ विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करण्याकरिता आवश्यक तेवढ्या छाननी समित्या विद्यापीठांचे कुलगुरु नियुक्त करतील.

१.९ प्राप्त अर्जाची व कागदपत्रांची पडताळणी सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट "ब" मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्रांच्या सूचीनुसार करुन छाननी समिती त्यांचा अहवाल १५ ऑक्टोबर पर्यंत कुलगुरुंना सादर करतील.

१.१० ज्या संस्थेच्या प्रस्तावात किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास त्या संस्थेस / अर्जदारास २० ऑक्टोबर पर्यंत त्रुटी कळविण्यात येतील.

१.११ त्रुटी कळविण्यात आलेल्या संस्थांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत विद्यापीठाकडे त्रुटीची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

१.१२ त्रुटीच्या पूर्ततेच्या अर्जाची छाननी समितीकडून छाननी करुन त्यासहीत छाननीत पात्र झालेल्या अर्जासह अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळ यांना सादर करण्यात येईल.

१.१३ संबधित विद्यापीठाचे कुलगुरु विद्यापीठस्तरावर आवश्यक तेवढ्या तज्ज्ञ समिती गठित करतील. सदर तज्ज्ञ समितीमध्ये छाननी समितीच्या सदस्यांच्या अंतर्भाव असणार नाही. सदर तज्ज्ञ समितीने १५ डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष भेटी देऊन नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडीसाठी संबंधित संस्थांची सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट "ब" मध्ये विहित करण्यात आलेल्या सूचीनूसार तयारी आहे किंवा कसे, याबाबत काटेकोर परिक्षण करुन त्यांचा अहवाल व्हिडीओ छायाचित्रणासह १५ जानेवारीपर्यंत अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळामार्फत कुलगुरुंना सादर करण्यात येईल. सदर पायाभूत सोयीसुविधा पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांची शिफारस विद्यापीठ करणार नाही.

१.१४ कुलगुरुंकडून संबंधित पात्र संस्थांना २५ जानेवारी पर्यंत पात्रता व अपात्रता कळविण्यात येईल.

१.१५ अपात्रता कळविलेल्या संस्था १५ फेब्रुवारीपर्यंत त्याविरुद्ध विद्यापीठाकडे अपिल दाखल करु शकतील. सदर अपिलावर (गरजेनुसार तज्ज्ञ समिती पाठवून अहवाल घेऊन) १५ मार्चपर्यंत कुलगुरु निर्णय देतील.

१.१६ सर्व पात्र अर्जदार संस्थांचे अर्ज मंजुरीच्या शिफारशीसह विद्यापीठाकडून प्रपत्र-"ब" सह शासनाकडे दिनांक १ एप्रिलपर्यंत सादर करण्यात येतील.

१.१७ विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्या व शासनस्तरावरील छाननीअंती पात्र ठरलेल्या प्रस्तावावर शासनाकडून १५ जूनपर्यंत परवानगी कळविण्यात येईल.

१.१८ वरील तारखांच्या संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, उपरोक्त तारखांना सार्वजनिक / स्थानिक सुट्टी असल्यास त्याच्या पुढील कार्यालयीन दिवशीची तारीख ही अंतिम तारीख असेल.

१.१९ वरील परि. १.८ मध्ये विहित केलेली छाननी समिती व परि. १.१३ मध्ये विहित केलेली तज्ज्ञ समिती यांची संख्या ती-ती विद्यापीठे त्या-त्या वर्षी सुरु करावयाचा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा व अतिरिक्त तुकडी वाढ यांची व्याप्ती विचारात घेऊन ठरवतील व विहित केलेल्या वेळापत्रकात काम होईल, याची खातरजमा करतील.

२. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी मंजुरी देण्यासाठी पुढे विहित केलेल्या निकषांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

**निकष :-**

२.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील कलम १०९(६) मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे विद्यापीठ नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करण्यासाठीचा उच्च शिक्षणाच्या विद्यमान महाविद्यालयाचा किंवा परिसंस्थेचा अर्ज, जर -

**(क)** ते, अधिस्विकृती अधिकरणांच्या (NAAC) मानांकनानुसार अधिस्विकृती किंवा पुनर्रअधिस्विकृती मिळण्यासाठी पात्र आणि अपेक्षित असले तरीसुद्धा, एकतर राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्विकृती परिषदेकडून किंवा राष्ट्रीय अधिस्विकृती मंडळाकडून (NBA) अधिस्विकृती किंवा पुनर्रअधिस्विकृती करण्यात आली नसतील ; आणि

**(ख)** राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या शर्तींचे ते अनुपालन करीत नसतील तर, राज्य शासनाकडे पाठविणार नाही.

त्याचप्रमाणे, ज्यांची यापूर्वीची महाविद्यालये अस्तित्वात आहेत, त्यांचेबाबतीत पुढील पूर्तता नसलेल्या संस्थांचे अर्ज शासनाकडे शिफारशीत करु नयेत.

**अ)** ज्या संस्थांच्या महाविद्यालयातील प्राचार्यासहित सर्व अध्यापकांची पदे अर्हताधारक व पात्र उमेदवारामधून भरलेली नसतील तर.

**ब)** यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब, क, ड ची पूर्तता करत नसतील तर,

२.२ शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकड्यांची मान्यता ही कायम विनाअनुदानित तत्वावर राहील.

२.३ नवीन पाठ्यक्रमाची शिफारस करताना अशा अभ्यासक्रमास शिखर संस्था / केंद्रीय नियामक मंडळ यांची मान्यता आवश्यक असल्यास त्यांच्या मान्यतेशिवाय असा पाठ्यक्रम शिफारशीत करण्यात येऊ नये.

२.४ ज्या महाविद्यालयाकरिता नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे, त्या महाविद्यालयामध्ये अस्तित्वात असलेल्या अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकड्यांना शासन मान्यता आहे, शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार मूलभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत, याची खातरजमा केल्यानंतरच प्रस्ताव शिफारशित केले जावेत.

२.५ ज्या महाविद्यालयाकरिता नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे, त्या वाढीव अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडीकरीता शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार वाढीव भौतिक व मूलभूत सुविधा उपलब्ध असल्याची प्रमाणित कागदपत्रे महाविद्यालयांनी अर्जासोबत जोडणे आवश्यक असून, विद्यापीठाने ही बाब प्रमाणित करावी.

२.६ ज्या महाविद्यालयाकरीता नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी मंजूर करण्यात आलेली आहे, त्याकरिता विहित निकषांप्रमाणे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त केले असल्याचे प्रमाणपत्र विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांनी पुढील ०६ महिन्यांमध्ये शासनास सादर करावे.

३. विद्यापीठांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविताना त्यात नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी असे वर्गीकरण केलेले असेल.

४. विद्यापीठांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविताना प्रस्ताव विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करीत असल्याची खात्री करावी. विहित निकषांची पूर्तता होत नसतानासुद्धा प्रस्ताव शासनस्तरावर विद्यापीठाकडून शिफारशित केले गेल्यास, अशा शिफारस केलेल्या प्रकरणी शासनास नाहक न्यायालयीन प्रकरणास सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विहित निकषांची पूर्तता करीत नसताना प्रस्ताव शासनास सादर झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यापीठाची पर्यायाने प्र.कुलगुरु तथा अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळ यांची राहील.

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९१२१३०११३४८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

Rohini Bhalekar

Digitally signed by Rohini Bhalekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical Education Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=440c6005598571f4234e969f892346c88247ac81346a1b7229bf9917deb7bce48, cn=Rohini Bhalekar
Date: 2017.09.13 17:34:04 +05'30'

**(रोहिणी भालेकर)**
**उपसचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत,**

१) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य.
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३) मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे विशेष कार्य अधिकारी.
४) मा. राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव.
५) अपर मुख्य सचिव (उ. व तं. शि.) यांचे स्वीय सहायक.
६) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.
७) विशि-३, विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय.
८) निवड नस्ती (मशि-४)

## * परिशिष्ट-अ *

### नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी

| | | |
|---|---|---|
| १. | संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता :<br>(दुरध्वनी क्रमांकासह) | |
| २. | महाविद्यालयाचे नाव आणि पूर्ण पत्ता : | |
| ३. | ज्या महाविद्यालयात नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करावयाची आहे, त्या ठिकाणाची लोकसंख्या : | |
| ४. | महाविद्यालयात नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करावयाचे सत्र : | |
| ५. | अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी अस्तित्वात असल्यास त्याचा तपशिल (मुळ तुकडी अनुदानावर असेल तर तसा स्पष्ट उल्लेख करावा) :<br>**तुकड्यांचा प्रकार नमूद करण्यात यावा. (अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विनाअनुदानित/स्वयंअर्थसहाय्यित)** | (see table below) |

| | ✓ | विषय | विद्यार्थी संख्या |
|---|---|---|---|
| विद्याशाखा | | | |
| अभ्यासक्रम | | | |
| विषय | | | |
| तुकडी | | | |

६. आवेदन शुल्क रुपये-----/-, धनाकर्ष क्र.----------------
दिनांक ------------------ बँकेचे नाव---------------------
(धनाकर्ष कुलसचिव,-------------------------विद्यापीठ, यांचे नावे असावा.)

७. महाविद्यालयात नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करावयाच्या विद्याशाखेचा तपशील :

| अ.क्र. | शाखा | अभ्यासक्रम | अध्यापनाचे माध्यम | अध्यापनाचे विषय |
|---|---|---|---|---|
| १. | | | | |
| २. | | | | |

८. संस्थेचा पंजीयनाचा क्रमांक -------- व दिनांक -----------

९. संस्थेच्या संविधानात शैक्षणिक बाबींसंबंधी तरतुद असल्यास त्या तरतुदींच्या कलम क्र. व तद्नुसार नविन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करण्यासंबंधीचा संस्थेचा ठराव क्र.------ व दिनांक ---------

१०. महाविद्यालयात सुरु करणार असलेल्या प्रस्तावित नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी महाविद्यालयाच्या १५ कि.मी. परिसरातील इतर महाविद्यालयात शिकविले जात असल्यास मागील ०३ वर्षांचा नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडीच्या वस्तुस्थितीचा महाविद्यालयांच्या नावासह तपशील :

(जागा कमी पडल्यास स्वतंत्र वेगळया कागदावर पुरविण्यात यावी.)

| | |
|---|---|
| ११. | आपण सुरु करणार असलेल्या नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडीमुळे व उल्लेखित परिसरातील इतर महाविद्यालयाशी अवास्तव स्पर्धा निर्माण होईल काय ? ------------------------------- |
| १२. | निरनिराळ्या अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षात प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांची अंदाजित संख्या : |

| कला | वाणिज्य | विज्ञान | विधि | इतर |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| १३. | १५ कि.मी. परिसरातील अस्तित्वात असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांची मागील ०३ वर्षांची पुढील संदर्भात माहिती द्यावी : |

| अ. क्र. | शाळेचे/कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता | वर्ष | उच्च माध्यमिक परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या | उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या | उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | | | | | |

| | |
|---|---|
| १४. | कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखेच्या नविन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी ज्या महाविद्यालयात सुरु करावयाची आहे, ते ठिकाण १२ वी च्या परिक्षेचे केंद्र आहे काय ? ------------------- |
| १५. | केंद्र असल्यास तेथून १२ वी च्या मार्च व ऑक्टोबरच्या परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखानिहाय संख्या ---------------------------------------------------------------- |
| १६. | **अ)** संस्थेद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या शाळा व महाविद्यालये यांचा तपशिल------------------------<br>**ब)** सदर शाळा व महाविद्यालयांची मान्य प्रवेश क्षमता, प्रत्यक्ष प्रवेशित व परिक्षेस बसलेले विद्यार्थी ------------ |
| १७. | **अ)** महाविद्यालयासाठी वापरल्या जावयाच्या इमारतीच्या खोल्यांची संख्या व आकार --------------<br>**ब)** सदर इमारत खोल्यांमध्ये सध्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा इतर अभ्यासक्रमाचे वर्ग भरतात काय? -------------- ------- असल्यास त्याचा तपशील ------------------------ |
| १८. | अर्ज केलेल्या वर्षातील ३१ मार्चला असलेली संस्थेची आर्थिक स्थिती :-<br>**(अ)** स्थावर मालमत्ता<br>**(ब)** जंगम मालमत्ता<br>**(क)** बँकेतील रोख<br>**(ड)** बँकेचे वा इतर कर्ज |
| १९. | वरील उल्लेखित बाबींशिवाय महाविद्यालयाच्या आकस्मिक व अनाकस्मिक खर्चासाठी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक तरतुदींचा तपशील : ------------------------------------------------------------ |

**मूळ सही (शिक्क्याची नाही)**
**अध्यक्ष**
**(संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता)**

**मूळ सही (शिक्क्याची नाही)**
**सचिव**
**(संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता)**

*** परिशिष्ट-ब ***

संस्थेचे नाव :-
ठिकाण :-

विद्यापीठाचे नाव :
विद्याशाखा :-

| अ.क्र. | तपासणी सूची | पुर्ततेचा "तपशिल" (होय/नाही) | जोडलेल्या कागदपत्रांचा पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| १. | संस्थेचा विहित नमुन्यात अर्ज. | | |
| २. | संस्था नोंदणी प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत. | | |
| ३. | चालू वर्षाच्या तपशिलवार अंदाजपत्रकाची प्रत. | | |
| ४. | घटनेची साक्षांकित प्रत. | | |
| ५. | संस्थेच्या मागील वर्षाच्या लेखापरिक्षण अहवालाची प्रत. | | |
| ६. | संस्थेच्या फिक्स डिपॉजिटची प्रमाणित प्रत.<br>नविन अभ्यास पाठ्यक्रम - रु.५.००लाख<br>विषय - रु.२.००लाख<br>विद्याशाखा - रु.५.००लाख<br>अतिरिक्त तुकडी - रु.३.००लाख | | |
| ७. | संबंधित संस्थेचे आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीयकृत / शेड्युल बँकेमार्फत केले जात असल्याचे कागदपत्र. | | |
| ८. | संबंधित राष्ट्रीयकृत शेड्युल बँकेत ठेवलेला ठेव निधी विद्यापीठाच्या पूर्व परवानगीशिवाय न काढणेबाबतचे संबंधित राष्ट्रीयकृत बँकेचे व संस्थेचे संयुक्त आश्वासन पत्र. | | |
| ९. | शासनाचे कायम विनाअनुदानित धोरण लक्षात घेता, अर्जासोबत महाविद्यालयाचा नियमानुसार वेतन व वेतनेतर खर्च संस्था करणार असल्याबाबतचे रु.१००/- स्टँपपेपरवर नोंदणीकृत हमीपत्र. | | |
| १०. | **१) स्वत:ची जागा -**<br>**अ)** "अ" "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये १/२ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत.<br>**ब)** "अ" "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रापासून ५ कि.मी. परीसरात किमान १ एकर अकृषक जागा.<br>**क)** "ड" वर्ग महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात किमान १ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या सरकारी कागदपत्रांची प्रमाणित प्रत.<br>**ड)** "ड" वर्ग महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रापासून ५ कि.मी. परीसरात किमान २ एकर अकृषक जागा. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **इ)** उर्वरित सर्व क्षेत्रांसाठी किमान ३ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावावर असलेल्या सरकारी कागदपत्राची प्रमाणित प्रत.<br>**२) भाडयाची जागा - अ)** "अ" "ब" आणि "क" वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये १/२ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावे भाडेतत्वावर घेतलेल्या "नोंदणीकृत कराराची" प्रत.<br>**ब)** "ड" वर्ग महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात किमान १ एकर जागा संस्थेच्या नावे भाडे तत्वावर घेतलेल्या "नोंदणीकृत कराराची " प्रत.<br>**क)** उर्वरित सर्व क्षेत्रांसाठी किमान ३ एकर अकृषक जागा संस्थेच्या नावे भाडे तत्वावर घेतलेल्या "नोंदणीकृत कराराची" प्रत. | | |
| ११. | **अ) इमारत (स्वतःची)** - संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर प्राधिकरणाचे प्रमाणित उतारे. (सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये सर्वसाधारण वर्गखोली व इतर क्षेत्रफळाचा तपशील जोडला आहे, तो खालील रकान्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद करावा. तसेच, वर्ग खोल्यांची संख्याही नमूद करावी.) | | |
| | **१) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत :** | **चौ.फु.** | |
| | १.१ प्राचार्य कक्ष<br>१.२ कार्यालय<br>१.३ इलेक्ट्रॉनिक्स/संगणक प्रयोगशाळा<br>१.४ रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा<br>१.५ पदार्थविज्ञान प्रयोगशाळा<br>१.६ जिवशास्त्र प्रयोगशाळा<br>१.७ ग्रंथालय<br>१.८ लेडीज रुम<br>१.९ रेकॉर्ड रुम<br>१.१० नॅक रुम<br>१.११ स्टाफ रुम<br>१.१२ सभागृह<br>१.१३ मोठे व्याख्यान कक्ष<br>१.१४ स्वच्छतागृह (२० विद्यार्थ्यांमागे ०१ स्वच्छतागृह) महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व प्रसाधने<br>१.१५ व्हरांडा<br>१.१६ एन.सी.सी.रुम<br>१.१७ एन.एस.एस.रुम<br>१.१८ वाहनतळ (दुचाकी वाहनांसाठी) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **२) २.१ पाणी सुविधा (पाणी पट्टी पावती)** | | | |
| | २.२ वीज सुविधा (वीज देयकाची प्रत) | | | |
| | २.३ ड्रेनेज सुविधा (स्थानिक प्राधिकरणाचे नकाशासह प्रमाणपत्र) | | | |
| | **३)** होस्टेल सुविधा / परिसरात २० टक्के विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय असल्याचे प्रमाणपत्र | | | |
| | **"ब") इमारत भाडयाची :** (नोंदणीकृत भाडेकरार) संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर प्राधिकरणाचे प्रमाणित उतारे. (सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये सर्वसाधारण वर्गखोली व इतर क्षेत्रफळाचा तपशील जोडला आहे, तो खालील रकान्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद करावा. तसेच, वर्ग खोल्यांची संख्याही नमूद करावी.) | | | |
| | **१) शैक्षणिक व प्रशासकीय इमारत** | **चौ.फु.** | | |
| | १.१ प्राचार्य कक्ष<br>१.२ कार्यालय<br>१.३ इलेक्ट्रॉनिक्स/संगणक प्रयोगशाळा<br>१.४ रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा<br>१.५ पदार्थविज्ञान प्रयोगशाळा<br>१.६ जिवशास्त्र प्रयोगशाळा<br>१.७ ग्रंथालय<br>१.८ लेडीज रुम<br>१.९ रेकॉर्ड रुम<br>१.१० नॅक रुम<br>१.११ स्टाफ रुम<br>१.१२ सभागृह<br>१.१३ मोठे व्याख्यान कक्ष<br>१.१४ स्वच्छतागृह (२० विद्यार्थ्यांमागे ०१ स्वच्छतागृह) महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व प्रसाधने<br>१.१५ व्हरांडा<br>१.१६ एन.सी.सी.रुम<br>१.१७ एन.एस.एस.रुम<br>१.१८ वाहनतळ (दुचाकी वाहनांसाठी) | | | |
| | **२) २.१ पाणी सुविधा (पाणीपट्टी पावती)** | | | |
| | २.२ वीज सुविधा (वीज देयकाची प्रत) | | | |
| | २.३ ड्रेनेज सुविधा (स्थानिक प्राधिकरणाचे नकाशासह प्रमाणपत्र) | | | |
| | **३)** होस्टेल सुविधा / परिसरात २० टक्के विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय असल्याचे प्रमाणपत्र | | | |
| १२. | १२(अ) व (ब) मधील (१) व (२) साठी फर्निचर किंवा त्यासाठी किमान रु.५.०० लक्ष शिल्लक असल्याबाबतचा पुरावा. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १३. | जो पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी सुरु करावयाचा आहे ग्रंथालयात पुस्तकाची सुविधा (किमान १०० पुस्तके प्रत्यक्षात हवीत) | | |
| १४. | प्रथमतः महाविद्यालय भाड्याच्या इमारतीत सुरु केले असेल तर प्रथम संलग्निकरण मिळाल्यापासून ५ वर्षामध्ये महाविद्यालय ज्या ठिकाणासाठी मंजुर झाले आहे, त्या ठिकाणी स्वतःचे इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करत असल्याबाबतचे हमीपत्र. | | |
| १५. | महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील कलम १०९(६) मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे ज्या संस्थेची यापुर्वीचे महाविद्यालय अस्तित्वात आहे अशा संस्थेने नविन महाविद्यालयाची मागणी केल्यास पुर्वीच्या महाविद्यालयाचे नॅक/एनबीए मूल्यांकन अथवा पूनर्मूल्यांकन असणे आवश्यक आहे. | | |

## परिशिष्ट "क"

## पदवी स्तरावर बायोटेक्नॉलॉजी विषय सुरू करण्यासाठी आवश्यक निकष

| अ.क्र. | तपासणी सूची |
|---|---|
| १ | हा विषय सुरू करताना त्या महाविद्यालयात विज्ञान शाखा असणे आवश्यक आहे |
| २ | सदर महाविद्यालयात विज्ञान शाखा ४ वर्षापूर्वी सुरू झालेली पाहिजे म्हणजेच विज्ञान शाखेची एक बॅच पास असणे आवश्यक आहे. |
| ३ | महाविद्यालयाचे नॅक मुल्यांकन "अ" श्रेणीचे असणे आवश्यक आहे. |
| ४ | सदर महाविद्यालयातून बायोलॉजीची एक बॅच बाहेर पडली पाहिजे. |
| ५ | या महाविद्यालयात बायोलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी,केमेस्ट्री हे विषय पदवी स्तरावर असणे आवश्यक आहे. त्या विषयातील पदवीधारकांची किमान एक बॅच पूर्ण झाली पाहिजे. |
| ६ | भौतिक व मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. |
| ७ | पूर्णवेळ पात्रताधारक शिक्षक असले पाहिजेत. |
| ८ | विद्यापीठ शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे दोन अधिव्याख्याते एम.एस्सी. बायोटेक्नॉलॉजी विषयातील व एक एम.एस्सी. मायक्रोबायोलॉजी विषयाचा अधिव्याख्यता फूलटाईम पाहिजे. चौथा शिक्षक एम.एस्सी. केमेस्ट्री, सांख्यीकी पाहिजे. प्रस्तुत अधिव्याख्याता पूर्णवेळ नसला तरी चालेल. |
| ९ | सदर महाविद्यालयात दोन प्रयोगशाळा पाहिजेत. |
| १० | विषय सुरू ठेवण्यासाठी महाविद्यालयाची आर्थिक परिस्थिती चांगली असली पाहिजे. |

## परिशिष्ट "ड"

## पदव्युत्तर स्तरावर बायोटेक्नॉलॉजी विषय सुरू करण्यासाठी आवश्यक निकष

| अ.क. | तपासणी सूची |
| --- | --- |
| १ | मागणी केलेल्या महाविद्यालयात बी.एस्सी. बायोटेक्नॉलॉजी हा विषय असला पाहिजे. |
| २ | सदर महाविद्यालयाचे नॅक मूल्यांकन किमान "अ" श्रेणी असले पाहिजे. |
| ३ | विज्ञान शाखेचे सर्व विषय असणे आवश्यक आहे. |
| ४ | बी.एस्सी. बायोटेक्नॉलॉजीचा विभाग तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा असला पाहिजे. |
| ५ | तीन पूर्णवेळ व एक अर्धवेळ शिक्षक असणे आवश्यक आहे. |
| ६ | दोन प्रयोगशाळा सहाय्यक असणे आवश्यक आहे. |
| ७ | किमान ६०० वर्ग फूट जागेच्या दोन प्रयोगशाळा असाव्यात. |
| ८ | भौतिक व मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. |
| | |

प्रपत्र-"अ"

परिशिष्ट ब मधील अ.क्र. १२ (अ) व (ब) साठी कक्षनिहाय किमान आवश्यक क्षेत्रफळ

| अ. क्र. | कक्षाचे नाव | नग | क्षेत्र प्रति नग | एकुण क्षेत्र | कला/विधी/ शिक्षण शाखा | वाणिज्य | विज्ञान | कला + वाणिज्य | कला + विज्ञान | वाणिज्य + विज्ञान | कला, वाणिज्य, विज्ञान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १) | प्राचार्य कक्ष | १ | २०*२५ | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
| २) | कार्यालय | १ | ३०*२० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| ३) | इलेक्ट्रॉनिक/संगणक प्रयोगशाळा | १ | २०*३० | ६०० | -- | -- | ६००(०) | -- | ६००(०) | ६००(०) | ६००(०) |
| ४) | रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा | १ | ३०*४० | १२०० | -- | -- | १२०० | -- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ५) | पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाळा | १ | ३०*४० | १२०० | -- | -- | १२०० | -- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ६) | जिवशास्त्र प्रयोगशाळा | १ | ३०*४० | १२०० | -- | -- | १२०० | -- | १२०० | १२०० | १२०० |
| ७) | ग्रंथालय | १ | २०*३० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| ८) | एनसीसी रुम | १ | २०*१५ | ३०० | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) |
| ९) | एन.एस.एस.रुम | १ | २०*१५ | ३०० | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) | ३००(०) |
| १०) | लेडीज रुम | १ | १०*१५ | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० |
| ११) | रेकॉर्ड रुम | १ | १०*१५ | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० |
| १२) | नॅक रूम | १ | १०*१५ | १५० | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) | १५०(०) |
| १३) | स्टाफ रूम | १ | २०*३० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| १४) | सभागृह | १ | ४०*३० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० |
| १५) | मोठे व्याख्यान कक्ष | ३/६/९ | | ९०० | २७०० | २७०० | २७०० | ५४०० | ५४०० | ५४०० | ८१०० |
| १६) | टॉयलेट ब्लॉक | ४ | १०*१५ | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
| १७) | व्हरांडा | १ | किमान ५ फुट रुंद | | २१०० | २४०० | ३३०० | ३००० | ३८०० | ४१०० | ४६५० |
| | एकूण (किमान आवश्यक क्षेत्रफळ) | | | १०२५० | ९२०० | ९५०० | १४००० | १२८०० | १७२०० | १७५०० | २०७५० |

* व्यावसायिक महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र शिखर संस्था / केंद्रीय नियामक मंडळे असल्यास अशा शिखर संस्था / केंद्रिय नियामक मंडळाच्या नियमानुसार त्यांनी विहित केलेल्या आवश्यक भौतिक सुविधा व शैक्षणिक सुविधांचे निकष त्यांना लागू राहतील.

* प्रपत्र-ब *

| क्र. | संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता | प्रस्तावित नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी विद्याशाखेचा तपशिल | विद्यापीठांनी केलेली शिफारस | संस्थेने महाविद्यालयांसाठी आवश्यक विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत काय? असल्यास, त्याचा तपशिल | संस्थेची आर्थिक स्थिती कशी आहे. | ज्या तालुक्यामधील महाविद्यालयात नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी मागितली आहे त्या तालुक्यातील महाविद्यालयात अस्तित्वात असणाऱ्या नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडीवर विपरित परिणाम होईल किंवा कसे, | तालुक्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांची नावे व महाविद्यालयांमधील अंतर | तालुक्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांतील विद्याशाखेंतर्गत शिकविल्या जाणाऱ्या विषयाचे गट (व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची स्वतंत्र माहिती द्यावी) | गटनिहाय विद्यार्थी संख्या (व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची स्वतंत्र माहिती द्यावी | तालुक्यामध्ये महाविद्यालय शाळांमधुन १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्याशाखा निहाय विद्यार्थ्यांची संख्या | मागील वर्षी किती विद्यार्थी नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी प्रवेशापासून वंचित राहिले | नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी सुरु करण्यास परवानगी द्यावी किंवा कसे याबाबतचे विद्यापीठाचे स्वयंस्पष्ट अभिप्राय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| | | | | १.<br>२.<br>३.<br>४.<br>५.<br>६.<br>७.<br>८.<br>९.<br>१०.<br>११.<br>१२. | | | | | | | | |

सुचना : संस्थेने रकाना क्र.४, ५ व १३ सोडून इतर माहिती अचूक भरावी. त्यातील चुकांची जबाबदारी संस्थेची राहील.

मूळ सही (शिक्क्याची नाही)
अध्यक्ष
(संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता)

मूळ सही (शिक्क्याची नाही)
अध्यक्ष, अधिष्ठता मंडळ, संबंधित अकृषि विद्यापीठ

**UNIVERSITY OF MUMBAI**
**No.Aff./Recog./ICC/ 2012-13/ 17**

**CIRCULAR**

Attention of the Principals of all affiliated aided, partially aided and unaided (Minority and Non-Minority) colleges is invited to this Office Circular No.Aff./ Recog./173, dated 13th June, 1991, No.Aff./ Recog./254, dated 5th July, 1993 and No.Aff./Recog.I/188 of 2008 dated 17th May, 2008, regarding 1) fees prescribed for application to be made for affiliation of new colleges and for continuation and/or extension of affiliation and/or permanent affiliation of the existing colleges and 2) receipt of late application and fees prescribed therefore and they are hereby informed that, the Management Council at its meeting held on 16th August 2007 **vide** item **No.5**, 15th September, 2011 **vide** item **No.41** and 28th June, 2012 **vide** item **No.13** has amended ordinance 158 which reads as under :-

**O.158:** All applications for opening of new colleges shall be sent (ten copies) or extension of affiliation shall be sent (in five copies) to the Registrar in the form prescribed by the Management Council so as to reach him before the last day of October of the year preceding the year from which affiliation is intended to take effect. All applications for continuation of affiliation or permanent affiliation of colleges shall be sent (in five copies) to the Registrar in the form prescribed by the Management Council so as to reach him on or before 31st August of the year preceding the year from which affiliation is intended to take effect.

Provided that in the case of colleges in respect of which the period of continuation of affiliation or extension of affiliation (Natural Growth) or permanent affiliation, recommended by the Senate expires before the date on which a copy of the University letter forwarding to the Government of proceedings of the Senate meeting was received by the college, the application for continuation of affiliation or extension of affiliation (Natural Growth) or permanent affiliation shall be sent (in five copies) to the Registrar in the form prescribe by the Management Council within two months from the date of the receipt of the said letter and in the case of colleges allowed to be started by the University on the basis of initial approval received from the Government in August or thereafter,, shall be sent (ten copies) to the Registrar in the form prescribed by the Management Council within two months from the date of the receipt of the letter from the University permitting the Society /Trust to admit students.

Application for affiliations for opening of new colleges, continuation of affiliation and / or extension of affiliation and / or extension of affiliation (Natural Growth) or permanent affiliation of colleges shall be accompanied by fees as mentioned below:-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | Application for affiliation of new College : | | | | ₹ |
| | (i) | (a) | Colleges for professional Courses* for a course/ branch only (excluding Education and Law) | Urban<br>Rural | 2,50,000/-<br>1,50,000/- |
| | | (b) | For additional each course or branch (excluding Education and law) | | 1,00,000/- |
| | (ii) | (a) | Colleges for Education and Law | | 1,50,000/- |
| | | (b) | for additional each course | | 50,000/- |
| | (iii) | | Colleges for each course [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than Professional Education and Law courses | | 30,000/- |
| (b) | Application for continuation of affiliation : | | | | ₹ |
| | (i) | | Colleges for professional Courses* For each courses /branch (excluding Education and Law) | | 75,000/- |
| | (ii) | | Colleges for Education and Law | | 25,000/- |
| | (iii) | | Colleges for <u>each</u> course [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than professional, Education and Law. | | 10,000/- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (c) | Application for extension of affiliation by Natural growth :- | | | ₹ |
| | (i) | Colleges for professional courses* For each course/branch (excluding Education and law) | | 75,000/- |
| | (ii) | Colleges for each courses [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than professional courses | | 10,000/- |
| | (iii) | Colleges for law and Education | | 25,000/- |
| (d) | Application for extension of affiliation for teaching a new degree course or a new subject in the same faculty :- | | | ₹ |
| | (i) | Colleges for professional each Course /Branch (excluding Education and Law) | | 75,000/- |
| | (ii) | College for each course [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than professional Courses (excluding Education and Law) | | 25,000/- |
| | (iii) | Colleges for Education and Law | | 25,000/- |
| (e) | Application for extension of affiliation for teaching of new degree course in another faculty :- | | | ₹ |
| | (i) | Colleges for professional* each Course (excluding Education and Law) | | 2,50,000/- |
| | (ii) | Colleges for course [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than professional courses (excluding Education and Law) | | 25,000/- |
| | (iii) | College for Education and Law | | 25,000/- |
| (f) | Application for permanent affiliation :- | | | ₹ |
| | (i) | Colleges for professional* Course (excluding Education and law) | | 5,00,000/- |
| | (ii) | Colleges for courses [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than professional courses (excluding Education and Law) | | 50,000/- |
| | (iii) | Colleges for Education and Law | | 1,00,000/- |
| (g) | Application for additional each division/variation in intake in each course:- | | | ₹ |
| | (i) | Colleges for professional* each Course/Branch (excluding Education and Law) | | 1,00,000/- |
| | (ii) | Colleges for each course [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than professional courses* (excluding Education and Law) | | 25,000/- |
| | (iii) | Colleges for Education and Law | | 25,000/- |

In case 31st August and/or before the last day of October of the year preceding the year happen/s to be a Sunday or Public Holiday, the last date for accepting applications for continuation of affiliation or extension of affiliation (Natural Growth) or permanent affiliation and opening of new colleges and applications for extension of affiliations shall be the immediate previous working day.

A copy of the application for opening of new college shall also be sent by registered post to the State Government directly.

Provided that the application for extension of affiliation (Natural Growth) or continuation of affiliation or permanent affiliation of college received after 31st August shall be accompanied by in addition to the fees mentioned above, a late fee of ₹5,000/- for colleges for professional courses and ₹1,000/- for colleges for **each** courses [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than professional courses (including colleges of Education and Law ) for each month subsequent to the month of August, as the case may be, including the month in which the application is received.

Provided that in the case of colleges in respect of which the applications for extension of affiliation (Natural Growth) or continuation or permanent affiliation of colleges received after two months after a copy of the University letter forwarding to the Government the proceedings of the Senate meeting was received by the college and application for continuation of affiliation of colleges received after the receipt of the letter from the University permitting the Society/Trust to admit students on the basis of the initial approval received from the Government, shall be a accompanied by the addition to the fees mentioned above a late fee of ₹5,000/- for colleges for professional courses and ₹1000/- for college for **each** courses [i.e. Bachelor of Arts, Science & Commerce and Self-finance courses**] other than professional courses (including colleges of Education and Law) for each month subsequent to the second month, as the case may be, including the month in which the application is received.

The Management Council reserves to itself the right to reduce/waive late fee as prescribed hereinabove, in receipt of application for extension of affiliation (Natural Growth) or continuation of affiliation or permanent affiliation of colleges and opening of new Colleges or extension of affiliation in exceptional circumstances. The Management Council reserves to itself the right to refuse to consider any application received after 31st August and/or before the last day of October of the year preceding the year, as the case may be.

One-third of the amount of affiliation application fee receive with a application for opening of new college shall be refunded to the Society/Trust whose application for opening of a new college is not recommended by the University and is not approved by the State Government or whose application is recommended by the University to the Sate Government but is not approved by the State Government.

Where a college having applied for permanent affiliation is granted continuation of affiliation one-half of the amounts of permanent affiliation application fee received with the application shall be refunded.

Affiliation application fees including late fee, if any, shall be paid by means of a demand draft payable to the Finance and Accounts Officer, University of Mumbai and drawn on any scheduled bank in Mumbai. However, the colleges in Greater Bombay may pay affiliation application fee including late fee if any, by means of a crossed account payee Cheque on a Scheduled Bank/State Co-operative Bank in Mumbai.

*Professional courses mean courses in Medicine. Dentistry, Pharmacy, Architecture, Ayurved, Homoeopathy, Unani Medicine, Management Studies, Engineering, Education Medical Laboratory, Technology, Prosthetics & Orthopedics, Audio logy & Speech Therapy, Occupational Therapy, Physical Therapy, Law, Labour studies, Labour laws & Labour Welfare, Taxation Law, Dance, Music, Applied Art, Painting and include such other courses as may be decided to the professional courses by the Management Council from time to time.

4/-

***[Self-finance Courses :- 1) B.Sc. (Hospitality Studies), (2) B.Sc. (Microbiology), (3) B.Sc. (Bio-Chemistry), (4) B.Sc. (Bio-Tech.), (5) M.C.A., (6) B.Ed., (7) BSW, (8) Event Management, (9) B.Sc.(Information Technology) (10) B.Sc.(Computer Science) (11) BMM (12) BMS (13) Banking & Insurance (14) Accounting & Finance (15) Library science (16) B.Sc. (Maritime) (17) B.Sc. (Nautical Science) (18) B.Sc. Library & Information Science (19) B.Sc. (Home Science) (20) B.Sc. (Aviation) (21) B.com (Financial Markets)]** and include such other courses as may be decided to the self-finance courses by the Management Council from time to time.

The above-amended ordinance has been brought into force with effect from the academic year 2012-13.

Mumbai-400 032
24th August, 2012.

(Kumar Khaire)
Registrar

To ,
The Principals of all the affiliated aided, partially aided and unaided (Minority and Non Minority) colleges.

Copy forwarded with compliments for information to :-

1)The Director, Directorate of Education (Higher Education), Maharashtra State, Pune-411 001.
2) The Director, Director of Technical Education, Maharashtra State, Mahapalika Marg. Mumbai – 400 001.
3)The Jt. Director of Education (Higher Education), Elphinstone Technical High School, 3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001.
4) The Join Director Higher Education. Konkan Resion, Government Education College Campus, Panvel, Dist – Raigad – 410 208.
5) The Administrative Officer (Higher Education Grants), Mumbai, Pune and Kolhapur.
6) The Presiding Officer, College Tribunal for Mumbai & S.N.D.T. Women's Universities, Mumbai.
7)The General Secretary, Mumbai University and College Teachers' Union, University Club House, 'B' Road, Churchgate, Mumbai-400 020.
8)The Deans of all the faculties.
9)The Director, College Development Council.

(Kumar Khaire)
Registrar

Copy to the Controller of Examinations/Finance & Accounts officer/Deputy Registrars, Director of Students Welfare/Assistant Registrars/Executive Secretary to the Vice-Chancellor, Personal Assistant to the Pro-Vice-Chancellor, Registrar and Director, B.C.U.D. and the persons-in-charge of the different sections/Units in the Registrar's Office.

Record Section (10 copies)

(Kumar Khaire)
Registrar